

53rd वार्षिक प्रतिवेदन Annual Report 2022-2023



भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

Bharat Pumps & Compressors Ltd.

(A Government of India Enterprise)

विषय सूची

- 03** | बोर्ड के निदेशकगण
- 04** | निदेशकों का प्रतिवेदन
- 14** | नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ
- 15** | स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन
- 25** | संतुलन पत्र
- 26** | लाभ हानि का विवरण
- 28** | वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ
- 48** | दस वर्षीय सिंहावलोकन

निदेशक मण्डल

1. श्री के.एस मूर्ति - अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (19.05.2021 से)
2. श्री ए.के. दीवान - निदेशक (18.05.2023 से)
3. श्री आर.के. सिंह - निदेशक (18.05.2023 तक)
4. श्री एस.के. सक्सेना - निदेशक (14.07.2021 से)
5. श्री अमित करकेटा - निदेशक (09.08.2021 से)
6. श्री आई. साई राम - निदेशक (01.09.2022 से)

श्री इन्द्रसेन सिंह - मुख्य वित्त अधिकारी एवं कम्पनी सचिव

लेखा परीक्षक

एस.आर. गुप्ता एण्ड कम्पनी,
सनदी लेखाकार,
54डी, स्ट्रैची रोड, सिविल लाइन्स
इलाहाबाद- 211001

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक, नैनी, इलाहाबाद

पंजीकृत कार्यालय

नैनी, इलाहाबाद - 211 010 (उत्तर प्रदेश)

बोर्ड के निदेशकगण



श्री के.एस. मूर्ति
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
(19.05.2021 से)



श्री ए. के. दीवान
निदेशक
(18.05.2023 से)



श्री आर. के. सिंह
निदेशक
(18.05.2023 तक)



श्री एस. के. सक्सेना
निदेशक
(14.07.2021 से)



श्री अमित करकेटा
निदेशक
(09.08.2021 से)



श्री आई. साई राम
निदेशक
(01.09.2022 से)



श्री इन्द्रसेन सिंह
कम्पनी सचिव

निदेशकों का प्रतिवेदन

सेवा में,

अंशधारीगण

सज्जनों,

आपके निदेशक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित खातों, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ कंपनी के व्यवसाय और संचालन की 53वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

1. निष्पादन की विशेषताएं:

वर्ष 2020-21 के दौरान भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 17.12.2020 के पत्र के माध्यम से कंपनी के संचालन को बंद करने और कुछ देनदारियों को फ्रीज़ करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय की सूचना दी। तदनुसार कंपनी अब गतिमान उपक्रम नहीं है और कुछ देनदारियों को मुक्त कर दिया गया है। जैसा कि सरकारी ऋण पर ब्याज की देनदारियों के लिए प्रावधान नहीं किया गया है/कुछ अतिरिक्त देनदारी बनाई गई थी (वीआरएस/वीएसएस देनदारियों, 1997 के वेतन संशोधन बकाया की देनदारियों के लिए प्रावधान किया गया था)। विगत वर्ष के दौरान कंपनी के सभी कर्मचारियों को 12.06.2021 तक वीआरएस/ वीएसएस के माध्यम से कार्यमुक्त/अलग कर दिया गया था। ऐसे में सभी परिचालन पिछले वर्ष से ही बंद हो चुका है। इसके अलावा वर्ष के दौरान कंपनी ने एमएसटीसी द्वारा आयोजित ई-नीलामी के माध्यम से सभी चल संपत्ति और अमूर्त संपत्ति (प्रौद्योगिकी/आईपीआर) को भी बेच दिया है। जमीन और स्थाई ढांचा भी यूपी सरकार को निशुल्क सौंप दिया गया है और सरकार के फ़ैसले के अनुरूप प्रयागराज में स्थित आवासीय फ्लैटों को बुक वैल्यू पर एनएलएमसी (नेशनल लैंड मोनिटाइजेशन कारपोरेशन) को हस्तांतरित कर दिया गया है। व्यापार प्राप्य जो संग्रहणीय नहीं हैं और अनुबंध की शर्तों के अनुरूप ग्राहकों द्वारा कटौती से संबंधित है ऐसी राशि को भी बट्टे खाते में डाल दिया गया है। ऐसे में वर्ष के दौरान प्रदर्शन और अन्य वित्तीय मानदंड चलायमान संस्थान के सामान तथ्यात्मक स्थिति नहीं दिखा रहे हैं। हालांकि कोई परिचालन टर्नओवर और राजस्व नहीं था, लेकिन चल संपत्ति की बिक्री की कमाई के कारण वर्ष के लिए घाटा (कर के बाद) 13.43 करोड़ रुपये था पिछले वर्ष के दौरान नुकसान (कर के बाद) 53.69 करोड़ रुपये था।

कंपनी को विभिन्न देनदारियों के परिसमापन के लिए भारत सरकार से गैर-वापसी योग्य अनुदान के रूप में 260.77 करोड़ रुपये (वर्ष 2020-21 के दौरान 92.55 करोड़ रुपये और 2021-22 के

दौरान 168.22 करोड़ रुपये) की धनराशि प्राप्त हुई है, जिसका कंपनी के निवल मूल्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। वर्ष 2022-23 के अंत में शुद्ध मूल्य रु (-)103.99 करोड़ रुपये था जब पिछले वर्ष 2021-22 में निवल मूल्य रु (-) 92.58 करोड़ था। वर्ष 2022-23 के दौरान प्रदर्शन की मुख्य विशेषताएं संक्षेप में नीचे दी गई हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2022-23	2021-22
1.	निवल कारोबार	0.00	9.69
2.	अन्य आय	44.44	37.69
3.	कुल आय (1+2)	44.44	47.38
4.	कर पश्चात शुद्ध लाभ/(हानि) पीएटी	(13.43)	(53.69)
5.	नेट वर्थ	(103.99)	(92.58)

2. लाभांश:

चूंकि कंपनी पहले से ही भारत सरकार के दिनांक 9.12.2020 के निर्णय के अनुसार परिसमापन/बंद करने की प्रक्रिया में है, इसलिए आपके निदेशकों द्वारा लाभांश की सिफारिश नहीं की गई है।

3. शेयर पूंजी:

31 मार्च 2023 को कंपनी 65.00 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी के मुकाबले की जारी शेयर पूंजी 53.53 करोड़ रुपये थी।

4. ऑर्डर बुक स्थिति:

वर्ष के अंत में ऑर्डर बुक की स्थिति 0.00 करोड़ रुपये थी क्योंकि कंपनी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल, सरकार के निर्णय (भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा दिनांक 17.12.2020 के पत्र के माध्यम से संचालन और कंपनी को बंद करने के संबंध में सूचित किया गया) के अनुपालन के आलोक में आदेशों को स्वीकार करना बंद कर दिया है और मौजूदा आदेशों को भी रद्द कर दिया है।

5. भविष्य का दृष्टिकोण:

केंद्रीय मंत्रिमंडल, सरकार के निर्णय के अनुपालन के आलोक में (भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा दिनांक 17.12.2020 के पत्र द्वारा परिचालन बंद करने और बंद करने के संबंध में सूचित किया गया, कंपनी ने आगे के आदेशों को स्वीकार करना बंद कर दिया है और विभिन्न बंद करने की गतिविधियां प्रक्रियाधीन हैं और अंत में कंपनी सभी बकाया राशि का निपटान करने के बाद समाप्त हो जाएगी।

6. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय:

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 के प्रावधानों और संबंधित नियमों (लागू होने की सीमा तक) के अनुसार ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय के बारे में जानकारी नीचे दी गई है:

6.1 ऊर्जा का संरक्षण:

हम कंपनी के गतिशीलता के समय जनरेटर सेटों के उचित उपयोग और रखरखाव से बिजली बचाने और जनरेटर के लिए ईंधन की खपत (एचएसडी) को कम करने की प्रक्रिया में थे। हम पारंपरिक रोशनी (फ्लोरोसेंट, इन्कैंडेसेंट, मरकरी आदि) को ऊर्जा कुशल एलईडी लाइट फिटिंग (दफ्तरों और दुकान को रोशन करने के लिए उपयोग किया जाता है) से बदलने की प्रक्रिया में थे, जो हल्के भार में बिजली की खपत को एक चौथाई तक कम कर दिया था। बिजली के नुकसान को कम करने के लिए हम लगातार पावर फैक्टर को 0.90 (लैगिंग) से ऊपर बनाए रखते थे। हमारी मशीनों का रखरखाव भी इस तरह से किया जा रहा था कि वे कम से कम बिजली नुकसान के साथ चल सकें। हालांकि, कंपनी के संचालन को बंद करने के कारण इस वर्ष फरवरी माह में बिजली आपूर्ति का बिछेदन करा दिया गया।

6.2 प्रौद्योगिकी अवशोषण:

कंपनी ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सहयोग के माध्यम से दुनिया के प्रसिद्ध निर्माताओं से प्रौद्योगिकी को अवशोषित किया है:

क्र.सं.	उत्पाद	सहयोगी
1.	सेन्ट्रीफ्यूगल पम्पस	पोम्पस गुड़नार्ड फ्रांस
2.	रेसीप्रोकेटिंग पम्पस	ऑयल वेल, यू0एस0ए0
3.	रेसीप्रोकेटिंग कम्प्रेसर्स	न्यूवो पिगनोन, इटली
4.	अमोनिया एण्ड कार्बामिट पम्पस	यूराका, जर्मनी
5.	सीमेन्टिंग यूनिट्स	बी0जे0 ह्यूजेस, यू0एस0ए0
6.	सकर रॉड पम्प	रोम कन्सल्टेन्ट रोमानिया
7.	उच्च दबाव औद्योगिक गैस सिलेण्डर	शोवा कोआत्सू, जापान

कंपनी के सहयोगियों को रोटेटिंग उपकरण के क्षेत्र में व्यापक अनुभव था और कंपनी ने अपने उत्पादों की पूरी श्रृंखला के लिए ऑर्डर के निष्पादन के लिए प्रौद्योगिकी को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया है और इसका इंजीनियरिंग डिवीजन उन्नत, अंतर्राष्ट्रीय कोड आवश्यकता को पूरा करने के लिए नियमित रूप से प्रौद्योगिकी और डिजाइन का उन्नयन कर रहा है।

सभी मामलों में, सहयोग की अवधि समाप्त हो गई है, लेकिन कंपनी ने पहले ही पूरी तकनीक को आत्मसात कर लिया है और उपलब्ध तकनीक के साथ ग्राहकों की अधिकांश आवश्यकताओं को पूरा कर रही है। वर्ष के दौरान, कोई नया तकनीकी सहयोग नहीं किया गया है।

हालांकि, कंपनी के संचालन को बंद करने के कारण, प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन बाहरी एजेंसी के माध्यम से किया गया और एमएसटीसी के माध्यम से इसकी ई-नीलामी की प्रक्रिया के द्वारा इसको रुपये 28 करोड़ में मेसर्स के यस बी लिमिटेड को बेच दिया गया।

6.3 प्रौद्योगिकी उन्नयन/अधिग्रहण और उत्पाद डिजाइन और विकास:

कंपनी बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करने और ग्राहकों की संतुष्टि के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने उत्पादों के निरंतर उन्नयन और डिजाइन सुधार के लिए प्रतिबद्ध थी। हालांकि चल रही है कंपनी को बंद करने की कार्यवाही के कारण, वर्ष 2021-22 से प्रौद्योगिकी सुधार/अधिग्रहण के लिए कोई गतिविधि नहीं की गई है।

6.4 विदेशी मुद्रा आय और व्यय:

विदेशी मुद्रा में खर्च और कमाई का विवरण इस प्रकार है-

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	2022-23	2021-22
अ.	सी0आई0एफ0 आधार पर गणना किये गये आयात का मूल्य		
	1. कच्चा माल	0.00	0.00
	2. भण्डार एवं कलपुर्जे	0.00	0.00
	3. पूंजीगत सामान	0.00	0.00
ब.	विदेशी मुद्रा में किया गया व्यय		
	1. अनुरूप अध्ययन	0.00	0.00
	2. यात्रा	0.00	0.00
	3. संविदा	0.00	0.00
	विदेशी मुद्रा प्राप्ति		
	1. परामर्श	0.00	0.00
	2. ब्याज	0.00	0.00
	खर्च किये गये कच्चा माल अवयव, कलपुर्जे एवं भण्डार का मूल्य		
	1. आयातित	0.00	6.60
	2. स्वदेशी	0.00	132.82

7. पूंजीगत व्यय:

केंद्रीय मंत्रिमंडल, भारत सरकार, के निर्णय के अनुपालन के आलोक में (भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा दिनांक 17.12.2020 के पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है) वर्ष 2021-22 से कंपनी के किसी भी पूंजीगत परियोजनाओं को संचालित नहीं किया गया है।

8. गुणवत्ता सुधार:

टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट टूलस के साथ कंपनी गुणवत्तापूर्ण उत्पाद प्रदान करने की प्रतिबद्धता के लिए गुणवत्ता आश्वासन के मजबूत बैकअप के साथ गुणवत्ता की अपनी यात्रा में आगे बढ़ रही थी। कंपनी को नवीनतम गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 9001:2015), पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 14001:2015) और व्यवसाय स्वास्थ्य और सुरक्षा आकलन श्रृंखला (ओएचएसएसएस 18001:2007) के लिए मान्यता प्राप्त थी। कास्टिंग, फोर्जिंग और तैयार उत्पाद के क्षेत्र में सुधार करके गुणवत्ता की ग्राहक आवश्यकता को पूरा किया गया था।

हालांकि भारत सरकार के निर्णय के अनुपालन के आलोक में संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने के प्रक्रिया में सभी कर्मचारियों को 12.06.2021 तक कार्यमुक्त कर दिए जाने से गुणवत्ता विकास के क्षेत्र में और विकास वर्ष 2021-22 से ही अपने आप रुक गया।

9. राजकोष में योगदान:

आपकी कंपनी ने सरकारी खजाने को - वर्ष के दौरान संपत्तियों की बिक्री से एकत्र जीएसटी का भुगतान किया है और आयकर के पुराने बकाया के रूप में वर्ष 2022-23 के दौरान 3192 लाख रुपये का भुगतान किया है।

10. मानव संसाधन विकास:

10.1 कंपनी लोगों की रणनीतियों के विकास और कार्यान्वयन से संबंधित थी जो कॉर्पोरेट रणनीतियों के साथ एकीकृत थी और यह सुनिश्चित करती थी कि संस्कृति, मूल्य, कौशल, प्रेरणा और मानव संसाधन विकास गतिविधियों का उद्देश्य कर्मचारियों की उत्पादकता, दृष्टिकोण, कौशल और ज्ञान में सुधार करना रहे। हालांकि सरकार के निर्णय के अनुपालन के आलोक में भारत सरकार ने कंपनी को बंद करने के संबंध में सभी कर्मचारियों को 12.06.2021 तक कार्यमुक्त कर दिया गया था। ऐसे में मानव संसाधन के क्षेत्र में और विकास अपने आप रुक गया है।

10.2 पिछले वर्ष के दौरान (12.06.2021 तक अर्थात् सभी कर्मचारियों को कार्यमुक्त करने की तिथि तक) संगठन में सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखे गए थे।

10.3 मानव शक्ति: कंपनी की कुल कर्मचारियों की संख्या 31.03.2022 को शून्य थी। इसके अलावा, विभिन्न बंद गतिविधियों को पूरा करने के लिए वीआरएस/वीएसएस के माध्यम से 4 सेवामुक्त कर्मचारियों को सलाहकार/संविदात्मक कर्मचारियों के रूप में नियुक्त

किया गया है और वे अभी भी अपनी सेवाए दे रहे हैं।

11. प्रशिक्षण: वर्ष 2021-22 से प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया क्योंकि सभी कर्मचारियों को वीआरएस/वीएसएस के माध्यम से 12.06.2021 तक पहले ही अलग किया जा चुका है।

12. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ ओबीसी/ विकलांग व्यक्ति:

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग व्यक्तियों से संबंधित सरकारी निर्देशों का कंपनी बंद होने/सभी कर्मचारियों को अलग करने तक अनुपालन किया जा रहा था।

13. राजभाषा:

वर्ष के दौरान दिनांक 12.06.2021 (कम्पनी बंद होने के कारण सभी कर्मचारियों की कार्यमुक्ति/विछोह की तिथि) तक राजभाषा कार्यान्वयन अधिनियम के प्रावधानों एवं राजभाषा कार्यान्वयन अधिनियम के प्रावधानों एवं भारत सरकार के विभिन्न निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू कर हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के प्रयास जारी रहे। सभी महत्वपूर्ण सर्कुलर और विज्ञापन हिन्दी में भी जारी किए गए।

14. सूचना का अधिकार (आरटीआई):

बीपीसीएल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों को लागू किया है और एक उपयुक्त तंत्र स्थापित किया गया है। साल के दौरान, सभी आवेदनों पर कार्रवाई की गई और उपयुक्त उत्तर दिए गए।

15. कर्मचारियों का विवरण:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, ऐसा कोई कर्मचारी नहीं था जिसका विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) के साथ पठित कंपनी (कंपनी की नियुक्ति और पारिश्रमिक) के नियम 5(2) और 5(3) के तहत दिया जाना आवश्यक है।

16. सावधि जमा:

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(31), 73 और 74 के तहत जनता से जमा आमंत्रित नहीं किया है।

17. प्रदूषण और पर्यावरण:

वायु (प्रदूषण निवारण नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के तहत वायु निर्वहन के लिए वैधानिक आवश्यकता का पूर्ण रूप से अनुपालन सभी तेल भट्टियों को बंद करके और तेल रिसाव को रोकने के द्वारा किया जाता है। जिसके द्वारा हवा और पानी के निर्वहन के लिए सभी वैधानिक आवश्यकताओं को बोर्ड की अनुमति सीमा के भीतर बनाए रखा गया और सभी आवश्यक जल उपकरण शुल्क यूपीपीसीबी

को जमा किए गए। हालांकि कंपनी के संचालन को बंद करने/12.06.2021 तक सभी कर्मचारियों को कार्यमुक्त करने के कारण इस संबंध में कोई और प्रयास रोक दिया गया है।

पहले हमारी कंपनी आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली, सख्त पर्यावरण निगरानी और प्राकृतिक संसाधनों (कोयला, गैस, पानी और भूमि) के विवेकपूर्ण उपयोग को अपनाकर पर्यावरण के सभी तत्वों के संरक्षण की दिशा में विभिन्न पहल कर रही थी। प्रकृति के संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के लिए समय-समय पर कंपनी में कई वृक्षारोपण अभियान आयोजित किए गए थे।

18. सतर्कता:

कंपनी का सतर्कता विभाग पारदर्शी और सरल प्रक्रियाओं को शुरू करके सीवीसी दिशानिर्देशों के बारे में बेहतर जागरूकता पैदा करके कंपनी में सतर्कता प्रशासन में सुधार के लिए प्रतिबद्ध था। भ्रष्ट आचरणों को नियंत्रित करने और रोकने के लिए नियमित और औचक निरीक्षणों को प्रभावी बनाया गया। निवारक सतर्कता उपायों के भाग के रूप में विभिन्न गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी गई। जांच के आधार पर व्यवस्थाओं में सुधार के लिए प्रबंधन को आवश्यक सिफारिशों की गई। कंपनी की खरीद नीति में सुधार और निविदा/खरीद गतिविधियों में पारदर्शिता पिछले वर्ष सतर्कता विभाग द्वारा फोकस बिंदु रहा था।

वर्ष 2022-23 के दौरान सीवीसी/सरकार को सामान्य रिपोर्टिंग के अलावा कोई सतर्कता गतिविधियां संचालित नहीं की गईं क्योंकि कंपनी पहले से ही बंद है।

19. सुरक्षा:

नवंबर 2022 तक कंपनी की सुरक्षा का प्रबंधन ष्छट्ट द्वारा किया जा रहा था और उसके बाद सुरक्षा निजी एजेंसी को सौंप दी गई थी। हालांकि सभी चल संपत्तियों को हटाने के बाद भूमि और संयंत्र की स्थायी संरचना 28.02.2023 को यूपी सरकार को सौंप दी गई है और तदनुसार कंपनी द्वारा सुरक्षा सेवाएं वापस ले ली गई हैं। ऐसे में सुरक्षा और संरक्षा की जिम्मेदारी अब यूपी सरकार की है। वर्ष के दौरान चोरी/हानि/क्षति का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया।

20. कंपनी की बंद गतिविधि की स्थिति-वर्तमान परिदृश्य:

केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति ने 09.12.2020 को आयोजित अपनी बैठक में संयंत्र के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने की मंजूरी दे दी। एमएचआई ने पत्र दिनांक 17.12.2020 के माध्यम से भारत सरकार के उक्त निर्णय की जानकारी दी है। इस संबंध में, निम्नलिखित समापन गतिविधियां पूरी हो चुकी हैं/प्रक्रिया के तहत हैं-

ए- कंपनी का कामकाज बंद कर दिया गया है।

बी- कंपनी के सभी कर्मचारियों को 12 जून-2021 तक वीआरएस/वीएसएस के माध्यम से पृथक कर दिया गया है। इसके अलावा समापन गतिविधियों को पूरा करने के लिए कुछ अधिकारियों को सलाहकार/सविदा कर्मचारियों के रूप में फिर से तैनात किया गया है और उनमें से कुछ को वित्तीय शक्ति दी गई है।

सी- कंपनी को स्वीकृत राशि 316.09 करोड़ रुपये में से मार्च-2021 के अंतिम सप्ताह में 92.55 करोड़ रुपये और जून-2021 के अंतिम सप्ताह में 168.22 करोड़ रुपये, कुल 260.77 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है।

डी- 1997 के वेतन संशोधन के बकाया से संबंधित कुछ कर्मचारियों के भुगतान को छोड़कर, कर्मचारियों के अधिकांश बकाए का भुगतान पूरा कर लिया गया है, जो नामांकित विवाद/उत्तराधिकार प्रमाण पत्र आदि के कारण लंबित है। इसके अलावा, 2007 के पे स्केल वापसी से संबंधित एमएचआई निर्देश के अनुपालन में वेतन संशोधन लागू होने की तिथि (जनवरी-2012 से आगे) के बाद से सभी अधिकारियों के कर्मचारियों से एक निश्चित राशि वसूल की गई है। यह राशि भविष्य में भुगतान के लिए देय हो सकती है यदि एमएचआई उचित निर्देश देगा जिसके लिए कंपनी ने पहले ही वसूली निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है।

इ- विक्रेताओं और अन्य हितधारकों के बकाया का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और विवादित/लावारिस गतिविधि का कुछ समायोजन भी किया जा चुका है और शेष राशि को बही में समायोजन के माध्यम से रद्द कर दिया गया है।

एफ-नैनी/इलाहाबाद स्थित सभी चल संपत्तियों की एमएसटीसी लिमिटेड के माध्यम से ई-नीलामी पूरी हो चुकी है और वर्ष 2022-23 के दौरान उसका भौतिक उठान भी पूरा हो चुका है।

जी- वर्ष के दौरान, सभी चल संपत्तियों की बिक्री और उठान के बाद, भारत पम्पस एंड कम्प्रेसर्स ने भूमि और स्थायी संरचना को ज्ञापन क्रमांक 959/SIDA/Sr.M. (सी)/सीडी-9/प्रयागराज के माध्यम से दिनांक 28.02.2023 को यूपी गवर्नमेंट को सौंप दी है।

कंपनी सभी समापन गतिविधियों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है ताकि अंतिम गतिविधियां (कंपनी के रजिस्ट्रार से नाम हटाना/समाप्त करना) जल्द से जल्द किया जा सके।

21. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व:

भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा दिनांक 17.12.2020 के पत्र के माध्यम से कंपनी को बंद करने के संबंध में सूचित किया गया है।केंद्रीय मंत्रिमंडल, सरकार के निर्णय के अनुपालन के आलोक में वर्ष 2021-22 से किसी भी सीएसआर गतिविधि का संचालन नहीं

किया गया है।

2.2.1 लेखा परीक्षक:

मेसर्स एस. आर. गुप्ता एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, इलाहाबाद, को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के खातों की लेखा परीक्षा के लिए वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, जिनका कार्यकाल आगामी वार्षिक सामान्य के समापन तक रहेगा।

2.2.2 लेखा परीक्षक की रिपोर्ट:

सांविधिक लेखा परीक्षकों ने वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के लेखा पर अपनी रिपोर्ट में कुछ निश्चित टिप्पणियां की हैं। टिप्पणियों पर आपके निदेशकों के उत्तर नीचे दिए गए हैं:

अंकेषक की टिप्पणी रिपोर्ट की संबंधित सं.	प्रबन्धन का जवाब
(ए)	कंपनी ने पहले ही सरकार से ऋण पर ब्याज के गैर प्रावधान से संबंधित तथ्यों का खुलासा नोट संख्या 29 (iv) के माध्यम किया है। ऐसा 2020-21 से केंद्रीय मंत्रिमंडल भारत सरकार के दिनांक 17.12.2020 के निर्णय के अनुपालन के आलोक में किया जा रहा है, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि 31-03-2020 तक के सरकारी ऋण पर ब्याज मुक्त किया जाएगा।
(बी)	सीआईएसएफ द्वारा दावा किए गए ब्याज देयता से संबंधित तथ्य नोट संख्या 29 (viii) के माध्यम से पहले ही प्रकट किए जा चुके हैं।
(सी)	जहां तक संभव हो, लंबित मामलों की मात्रा निर्धारित की जा चुकी है।

2.3. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ:

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(ए) के तहत 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का पूरक ऑडिट करने का निर्णय लिया। पूरक लेखा परीक्षा के मामले में, पीड ने कोई अतिरिक्त बिंदु पेश नहीं किया तथा टिप्पणी में कहा गया है कि 'मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जो अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर किसी भी टिप्पणी या पूरक को जन्म दे सके'। वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के खातों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी संलग्न है।

2.4. जोखिम प्रबंधन:

कंपनी योजना के दौरान हमेशा जोखिम प्रबंधन के सिद्धांतों का पालन

कर रही थी। पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद था और समय-समय पर ऐसे नियंत्रणों की समीक्षा की जाती थी। हालाँकि, वर्तमान परिदृश्य (कंपनी के बंद होने) में जोखिम प्रबंधन का दायरा केवल सीमित क्षेत्रों में है और इसे पिछली पद्धति/दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जा रहा है।

2.5. वार्षिक विवरणी का उद्घरण:

जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) के प्रावधानों के तहत आवश्यक है, वर्ष 2022-23 के वार्षिक रिटर्न का सार संलग्न है।

2.6. निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी):

श्री के एस मूर्ति, महाप्रबंधक/ अधिशाषी निदेशक बीएचईएल ने 19.05.2021 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण श्री सुनील परवानी अधिशाषी निदेशक, बीएचईएल के स्थान पर किया है।

श्री अरुण कुमार दीवान, सयुक्त निदेशक एमएचआई (भारी उद्योग मंत्रालय), भारत सरकार ने दिनांक 18.05.2023 से बीपीसीएल के बोर्ड में (श्री रमाकांत सिंह निदेशक एमएचआई के स्थान पर) सरकार नामित निदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है जोकि अगले आदेश तक जारी रहेगा।

श्री सुनील कुमार सक्सेना, कार्यकारी निदेशक ईआईएल को 14.07.2021 को श्री आर के त्रिवेदी के स्थान पर नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्री अमित केरकेट्टा जीएम, बीएचईएल को श्री जी उदय कुमार के स्थान पर 09.08.2021 को नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्री साई राम इरुकुवज्जुला, ईडी (सीटीएस), ओएनजीसी को 01.09.2022 से नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

बीपीसीएल के बोर्ड में कोई भी गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशक 26.03.2016 से नियुक्त नहीं किया गया है।

2.7. कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट:

2.7.1 बीपीसीएल अपने विभिन्न हितधारकों के विश्वास निर्माण में विवेक, खुलेपन, निष्पक्षता, व्यावसायिकता और उत्तरदायित्व के आधार पर ठोस कॉर्पोरेट प्रथाओं के लिए प्रतिबद्ध था। बीपीसीएल सभी लागू कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुसार सभी हितधारकों के लिए पूर्ण पारदर्शिता और नैतिक व्यवहार बनाए रख रहा है।

2.7.2 निदेशक मंडल- डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप निदेशक मंडल की संरचना के लिए, कंपनी ने एमएचआई से अपने बोर्ड में तीन अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति के लिए अनुरोध किया

था। तदनुसार दो गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक 26.03.2013 से नियुक्त किए गए थे जिसका कार्यकाल 26.03.2016 को पूरा हो चुका है और उसके बाद गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकों की नियुक्ति नहीं की गई है।

27.3 कंपनी ने सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन टीम के लिए लागू व्यापार आचरण और नैतिकता की औपचारिक संहिता निर्धारित की है।

27.4 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठक की तारीखें

वर्ष 2022-23 इस प्रकार हैं: -

बोर्ड बैठक सं.	बैठक का दिनांक
253	30.06.2022
254	11.07.2022
255	22.09.2022
256	30.09.2022
257	22.12.2023
258	29.03.2023

निदेशकों की उपस्थिति संलग्न है।

27.5 लेखापरीक्षा समिति और पारिश्रमिक समिति -

दिनांक 26.03.2013 को दो गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक की नियुक्ति पर लेखापरीक्षा समिति एवं पारिश्रमिक समिति का गठन 17.05.2013 को तीन सदस्यों की संरचना के साथ किया गया। गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक को लेखापरीक्षा एवं पारिश्रमिक समिति का अध्यक्ष नामित किया गया था। लेखा परीक्षा समिति और पारिश्रमिक समिति के संदर्भ की शर्तों को भी निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। लेकिन 25.03.2016 को गैर सरकारी अंशकालिक निदेशकों की नियुक्ति का कार्यकाल पूरा होने के बाद उपलब्ध निदेशकों के साथ केवल लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया था। हालांकि वर्तमान में कोई लेखापरीक्षा और पारिश्रमिक समिति अस्तित्व में नहीं है क्योंकि इसका गठन नहीं किया गया था।

27.6 पिछले तीन वर्षों के लिए शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक निम्नलिखित विवरण के अनुसार पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की गई:

बैठक सं.	बैठका का दिनांक
50 th	28.12.2020
51 st	23.11.2021
52 nd	31.12.2022 20.01.2023

27.7. खुलासे- कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 में उल्लिखित लेखा मानक के अनुसार प्रमुख प्रबंधन कर्मियों को पारिश्रमिक और संबंधित पार्टी लेनदेन के विवरण सहित वार्षिक खातों में आवश्यक खुलासे किए हैं।

27.8 संचार के साधन- कंपनी अपने शेयरधारकों के साथ अपनी वार्षिक रिपोर्ट, आम बैठक और वेब साइट के माध्यम से प्रकटीकरण के माध्यम से संचार करती है। सभी महत्वपूर्ण जानकारी और कार्यक्रम कंपनी की वेबसाइट www.bharatpumps.co.in पर देखे जा सकते हैं।

28. निदेशकों की जिम्मेदारी का विवरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (सी) के अनुपालन में, निदेशकों ने वर्ष 2022-23 के वार्षिक खातों के संबंध में निम्नानुसार पुष्टि की:

ए) कि वार्षिक खातों की तैयारी में, लागू लेखा मानकों का पालन किया गया था और सामग्री प्रस्थान से संबंधित उचित स्पष्टीकरण भी दिया गया था।

ख) कि निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया था और उन्हें लगातार लागू किया था और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए थे जो उचित और विवेकपूर्ण थे ताकि वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति के बारे में सके और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ या हानि का सही और निष्पक्ष जानकारी दी जा सके।

ग) यह कि निदेशकों ने कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की थी।

घ) यह कि निदेशकों ने कंपनी को बंद करने से संबंधित भारत सरकार के निर्देश का पालन करने के लिए कुछ प्रकट विचलन को छोड़कर 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार किया था।

ई) कि निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है और वह भी सी प्रणालियाँ पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।

29. अभिस्वीकृति:

बोर्ड कंपनी के संचालन की निरंतरता तक संगठन में उनके द्वारा दिखाए गए समर्थन और विश्वास के लिए मूल्यवान ग्राहकों के प्रति अपनी ईमानदारी से धन्यवाद देता है।


निदेशक मंडल भारत सरकार विशेष रूप से भारी उद्योग मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) और राज्य सरकार से प्राप्त निरंतर समर्थन, मार्गदर्शन और सहयोग के लिए अपना आभार और प्रशंसा दर्ज करना चाहता है।,

आपके निदेशक ,बीएचईएल, ईआईएल और ओएनजीसी से प्राप्त सहयोग और समर्थन की भी सराहना करते हैं।

निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक और पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड, वैधानिक लेखापरीक्षकों और बैंकों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए अपनी प्रशंसा भी दर्ज करते हैं।

निदेशक इस अवसर पर कंपनी की समापन गतिविधि के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर सभी संविदा/सलाहकार कर्मचारियों द्वारा किए गए प्रयासों और योगदान के लिए अपनी सराहना व्यक्त करते हैं।

भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेसर्स लि०के
निदेशक मण्डल की ओर से



(के.एस. मूर्ति)

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

दिनांक : 24.07.2023

स्थान : नई दिल्ली

वार्षिक विवरण का सारांश

31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के अन्त में
(कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 92 (3) और कम्पनी
(प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12 (1) के अधीन) फार्म नं. एम.जी.टी.-9

I. पंजीयन एवं अन्य विवरण :

निगम परिचय संख्या	U28991UP1970GOI003577
पंजीयन तिथि	01/01/1970
कम्पनी का नाम	भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेसर्स लि०
पंजीकृत कार्यालय का पता एवं सम्पर्क विवरण	मिर्जापुर रोड, नैनी, इलाहाबाद - 211010 फैक्स: 0532-2687075, वेबसाइट : www.bharatpumps.co.in
क्या सूचीबद्ध कम्पनी है?	नहीं
पंजीयन/स्थानान्तरण एजेन्ट का नाम, पता एवं सम्पर्क विवरण, यदि हो	लागू नहीं

II. कम्पनी की मुख्य व्यावसायिक कार्य प्रणाली

कम्पनी के कुल व्यवसाय के 10 प्रतिशत से अधिक की व्यावसायिक गतिविधियाँ वर्णित की जायेंगी।

क्र.सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पादों / सेवाओं का कोड	कम्पनी के कुल वार्षिक बिक्री का प्रतिशत
1	पम्पस	8413	68
2	कम्प्रेसर्स	8414	32
3	सम्पीडित गैस सिलिन्डर्स	7311	0

III. नियंत्रक सहायक एवं साझेदार कम्पनियों का विवरण लागू नहीं

IV. अंश नियंत्रक नमूना (कुल साम्य की साम्य अंश पूँजी)

इस समय कुल प्रदत्त पूँजी के समस्त अंश, एक अंश को छोड़कर जो अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक बी०पी०सी०एल० के नाम में है, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग के नामित के माध्यम से भारत सरकार के राष्ट्रपति के नाम में है।

अंश धारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारम्भ में 01.04.2022 को अंशों की संख्या				वर्ष के अन्त में 31.03.2023 को अंशों की संख्या				वर्ष के दौरान % बदलाव
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल अंशों का %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल अंशों का %	
अ- भारतीय									
1. भारत सरकार	-	5,35,299	5,35,299	99.99	-	5,35,299	5,35,299	99.99	-
2. सी.एम.डी., बी.पी.सी.एल.	-	1	1	00.01	-	1	1	00.01	-
3. कुल	-	5,35,300	5,35,300	100	-	5,35,300	5,35,300	100	-

वार्षिक विवरण का सारांश (क्रमशः)

V. कर्जदारी

कम्पनी के वकाया ऋण / संभूति एवं अदेय ब्याज

	जमा राशि को छोड़कर सुरक्षित ऋण (रु. लाख में)	असुरक्षित ऋण (रु. लाख में)	जमा (रु. लाख में)	कुल कर्जदारी (रु. लाख में)
वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में कर्जदारी				
1- मूल राशि	0.00	11159.00	0.00	11159.00
2- न दिया गया ब्याज	0.00	5270.42	0.00	5270.42
3- संभूति ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	0.00	16429.42	0.00	16429.42
वित्तीय वर्ष के दौरान कर्जदारी में परिवर्तन				
1- बढ़ोतरी	0.00	0.00	0.00	0.00
2- घटाव	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल बदलाव	0.00	0.00	0.00	0.00
वित्तीय वर्ष के अन्त में कर्जदारी				
1- मूलधन	0.00	11159.00	0.00	11159.00
2- देय किन्तु न दिया गया ब्याज	0.00	5270.42	0.00	5270.42
3- संभूत ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल (1+2+3)	0.00	16429.42	0.00	16429.42

वर्ष 2022-2023 के दौरान निदेशकों की उपस्थिति

क्रम सं०	निदेशकों के नाम एवं पद	कार्यकाल के दौरान हुई कुल बोर्ड मीटिंग	बोर्ड मीटिंग में उपस्थिति की कुल संख्या
1.	श्री के. एस. मूर्ति अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	06	06
2.	श्री रमा कान्त सिंह निदेशक	06	06
3.	श्री एस. के. सक्सेना निदेशक	06	05
4.	श्री अमित करकेटा निदेशक	06	05
5.	श्री आई. साई राम	03	03

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा,
उद्योग एवं कारपोरेट कार्य
ए.जी.सी.आर. भवन, आई.पी. एस्टेट,
नई दिल्ली-110 002



OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT,
INDUSTRY AND CORPORATE AFFAIRS
A.G.C.R. BUILDING, I.P. ESTATE,
NEW DELHI-110 002

संख्या: एएमजी-III/2(26)/वार्षिक लेखापरीक्षा
/बीपीसीएल(2022-23)/2023-24/166
दिनांक: 24.07.2023

सेवा में

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
भारत पम्पस एवं कंप्रेसर्स लिमिटेड,
फ्लैट संख्या आर 21, 22, चतुर्थ तल,
परिवर्तन अपार्टमेंट, थोर्नहिल रोड,
ऑपोजिट सेंट एंथनी गर्ल्स इंटर कॉलेज

विषय:

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (b) के अंतर्गत 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
भारत पम्पस एवं कंप्रेसर्स लिमिटेड के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की
टिप्पणियाँ।

महोदय,

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (b) के अंतर्गत 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
भारत पम्पस एवं कंप्रेसर्स लिमिटेड (Bharat Pumps & Compressors Limited) के वार्षिक लेखों पर
उपरोक्त विषय संबंधित संलग्न पत्र अद्योषित है।

भवदीया,
र.स. ए. पंडा
(एस. आह्लादिनी पंडा)
प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा
(उद्योग एवं कारपोरेट कार्य)
नई दिल्ली

संलग्नक:- यथोपरि

दूरभाष / Phone : +91-11-23702357, फैक्स / Fax : +91-11-23702359, E-mail : pdaica@cag.gov.in

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड,
नैनी, इलाहाबाद के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अन्तर्गत
भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ :

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुरूप 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद के वित्तीय विवरण की तैयारी का उत्तरदायित्व कम्पनी के प्रबंधन का है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए वैधानिक लेखा परीक्षक कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत इन वित्तीय विवरणों के लिए अपनी राय हेतु उत्तरदायी हैं जो अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित अंकेक्षण पर मानक के अनुरूप स्वतंत्र अंकेक्षण पर आधारित होगा। ऐसा कहा गया है कि यह दिनांक 31 मई, 2023 के अपने अंकेक्षण रिपोर्ट के माध्यम से उनके द्वारा किया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड के 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों का अधिनियम की धारा 143(6) (अ) के तहत पूरक अंकेक्षण किया था। यह पूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षकों के कामकाजी कागजात तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गयी है और यह मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों और कम्पनी कर्मियों से पूछताछ और कुछ लेखांकन रिकार्ड की चयनात्मक जांच तक सीमित है। मेरे पूरक लेखा परीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जो अधिनियम की धारा 143(6)बी के तहत वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर किसी भी टिप्पणी या पूरक को जन्म दे।

अधिनियम की धारा 143(6)(b) के अन्तर्गत वैधानिक अंकेक्षक की रिपोर्ट पर कोई पूरक टिप्पणी अथवा अन्य टिप्पणी नहीं है।

र.स. ए. पंडा

(एस. आह्लादिनी पंडा)
प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा
(उद्योग एवं कारपोरेट कार्य)
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 24.07.2023

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का संशोधित प्रतिवेदन

भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड के सदस्यों

एकल वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

हमने भारत पंप एंड कंप्रेसर लिमिटेड ('कंपनी') के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च 2023 तक की बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण और उस वर्ष के लिए कैश प्रवाह का विवरण, टिप्पणी और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक नोटों के सारांश (सामूहिक रूप से इसके बाद स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के रूप में संदर्भित) भी शामिल है।

राय:

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के योग्य राय अनुभाग के लिए आधार में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर (हमारी योग्य राय का संचयी प्रभाव रुपये 34.25 करोड़ की हानि से कम दर्शित है।), उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') द्वारा आवश्यक तरीके से आवश्यक जानकारी देते हैं और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2023 तक कंपनी के मामलों की स्थिति, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसका घाटा और इसका नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं।

योग्य राय के लिए आधार:

(ए) सरकार से प्राप्त ऋण की राशि पर ब्याज रु. 2011.35 लाख प्रावधान न करना :

हम नोट संख्या 29(iv) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें कंपनी के प्रबंधन द्वारा यह कहा गया है कि वित्तीय विवरण चल रही सतत अवधारणा को लागू करने में कुछ विचलन के साथ तैयार किया गया है क्योंकि भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने कंपनी के संचालन और बंद करने के लिए दिनांक 17.12.2020 के पत्र के माध्यम से केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय की सूचना दी है। तदनुसार, कंपनी ने सरकार के ऋण पर ब्याज की राशि रु. 2011.35 लाख की देयता का प्रावधान नहीं की है। इस प्रकार, यह लेखांकन सिद्धांत/उपार्जन अवधारणा का उल्लंघन है।

(बी) सीआईएसएफ द्वारा 1413.33 लाख रुपये के ब्याज का प्रावधान नहीं किया गया:

सीआईएसएफ द्वारा 1413.33 लाख रुपये के लिए दावा किए गए ब्याज देयता के संबंध में आकस्मिक देनदारियों से संबंधित नोट संख्या 29 (xvii) (ए) (2) पर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके लिए ऐसी निर्विवाद देयता के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

(सी) आकस्मिक देनदारियों के तहत लंबित अदालती मामलों को परिमानित न करना:

21 मामलों में से 60.53 लाख रुपये की राशि के 14 मामलों के सिविल सूट के संबंध में आकस्मिक देनदारियों से संबंधित नोट संख्या

29(xvii) (ए) (1) पर ध्यान आकर्षित किया जाता है। शेष 7 मामलों के लिए कोई परिमाणीकरण नहीं किया गया है।

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा (एएस) पर मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की। हमारी रिपोर्ट में उन मानकों के तहत स्वतंत्र विवरण आगे दिया गया है।

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी का कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। . हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए ऑडिट साक्ष्य स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी योग्य राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

अन्य मामले- गोइंग कंसर्न से सम्बन्धित भौतिक अनिश्चितता:

हम नोट संख्या 29(i),(ii) और (iii) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें कंपनी के प्रबंधन द्वारा कहा गया है कि स्टैंड अलोन वित्तीय विवरण गोइंग कंसर्न अवधारणा को लागू करने में कुछ विचलन के साथ तैयार किया गया है क्योंकि भारी उद्योग मंत्रालय, सरकार ने दिनांक 17.12.2020 के पत्र के माध्यम से कंपनी के संचालन को बंद करने और कुछ देनदारियों को फ्रीज करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय की सूचना दी है। प्रबंधन से चर्चा के अनुसार, कंपनी का संचालन पहले ही बंद हो चुका है, सभी चल संपत्तियां बिक चुकी हैं, जमीन और स्थायी ढांचा भी उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दिया गया है। और शेष समापन गतिविधियां प्रक्रियाधीन हैं। तदनुसार, कंपनी को समयबद्ध तरीके से औपचारिक रूप से बंद कर दिया जाएगा। हमारी राय में, कंपनी अब चलायमान संस्था नहीं रह गयी है और हमारी रिपोर्ट उपयुक्त रूप से संशोधित है

एकल वित्तीय विवरण और उसके ऊपर अंकेक्षक की रिपोर्ट के

अलावा अन्य सूचनाएँ : कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना के लिए उत्तरदायी है, अन्य सूचनाएँ निदेशकों के प्रतिवेदन एवं उनके संलग्नक तथा व्यापारिक दायित्व रिपोर्ट में उल्लिखित रहती हैं परंतु एकल वित्तीय विवरण और हमारी अंकेक्षक रिपोर्ट में शामिल नहीं रहती है। हमारे द्वारा वित्तीय विवरण पर व्यक्त किए गए विचार अन्य सूचनाओं को आच्छादित नहीं करती तथा हम अपना पूर्ण आश्वासन भी इसपर व्यक्त नहीं करते।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यह है कि ऊपर बताई गई अन्य सूचनाओं को उनके उपलब्ध हो जाने के बाद पढ़ें, और ऐसा करने पर विचार करें कि क्या वित्तीय विवरणों के साथ अन्य सूचनाओं की तुलना में लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारा ज्ञानभौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत बयान किय गया है। हमारे द्वारा किये गये कार्यों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यदि अन्य सूचनाओं में कुछ भौतिक रूप से संगत है तो हमें रिपोर्ट करना चाहिए। इस संबंध में हमें कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना है।

एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबन्धन की जिम्मेदारियाँ :

कम्पनी का निदेशक मंडल कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में, इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के सम्बन्ध में इस मामले के लिये जिम्मेदार है जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन तथा भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप कम्पनी के नगदी प्रवाह पर सही और निष्पक्ष राय दें, जिसमें अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखा मानक शामिल हैं, तथा उन्हें कम्पनी (लेखा) नियम के साथ पढ़ें।

इस दायित्व में कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा के लिये अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप उचित लेखा रिकार्ड्स का रखरखाव और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की पहचान तथा रोकथाम, उचित लेखा नीतियों का चयन और उपयोग, निर्णय एवं आंकलन करना जो उचित और विवेकपूर्ण हो और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रूपरेखा, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो प्रभावी रूप से लेखा रिकार्ड्स की शुद्धता और परिपूर्णता को सुनिश्चित करने हेतु कार्य कर रहे थे, वित्तीय विवरण तैयार करने और इसके प्रस्तुतिकरण के लिए उपयुक्त था, जो सत्य और निष्पक्ष राय देने में सक्षम हो, तथा जो धोखाधड़ी तथा भूलवश हुए वस्तुगत गलत बयानी से मुक्त हो, भी शामिल है। बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर कम्पनी के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के लिए भी जिम्मेदार है।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण संपूर्ण रूप से भौतिक दुर्व्यवहार से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि हो, अथवा एक ऐसा लेखा परीक्षक प्रतिवेदन जारी करने में जिसमें, हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन का एक उच्च स्तर है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एस.ए. के अनुसार की गई लेखा परीक्षा किसी भौतिक गलतबयानी के मौजूद होने पर हमेशा ही उसका पता लगाएगी। गलतबयानी, धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और इसे व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप में भौतिक माना जाएगा, और समेकित रूप से इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की भी यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।

एस.ए. के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। साथ ही हम:

- वित्तीय विवरणों की सामग्री की गलतबयानी के जोखिमों को पहचानते हैं और उनका आकलन करते हैं, चाहे इसका कारण धोखाधड़ी या त्रुटियों, उन जोखिमों पर प्रतिक्रिया के अनुसार लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की रूपरेखा बनाते हैं और निष्पादित करते हैं, और ऐसे लेखा परीक्षा का साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। गलतबयानी से कहीं अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत प्रतिनिधित्व या जबरन आंतरिक नियंत्रण शामिल हो सकता है।

- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं, जो परिस्थितियों में उपयुक्त हो। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) (I) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कम्पनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों का संचालन प्रभावशीलता से हो रहा है।
- उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता से हो रहा है।
- लेखा से प्राप्त होने वाली चिंता के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और प्राप्त लेखा परीक्षा के साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं, कि क्या किसी घटना या परिस्थितियों से संबंधित सामग्री में अनिश्चितता मौजूद है जो चिंता के रूप में जारी रहने की कम्पनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, यदि इस तरह के खुलासे हमारी राय को संशोधित करने के लिए उपयुक्त है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में इससे संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाएं या स्थितियाँ कम्पनी को एक जारी चिंता के रूप में कार्य करने से रोक सकती हैं।
- प्रकटनों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री और इस बात का मूल्यांकन करते हैं कि वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हो जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करता हो।

भौतिकता एकल वित्तीय वक्तव्यों में गलतफहमी का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या समेकित रूप से, यह संभव बनाता है कि एकल वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) हमारी लेखा परीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में और (ii) एकल वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचानी गई गलतबयानी के प्रभाव का मूल्यांकन करने में, मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं;

अन्य मामलों के साथ ही हम, आंतरिक प्रशासन के जिम्मेदार लोगों, महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के साथ ही लेखा परीक्षा की योजनाबद्ध गुंजाइश और समय के साथ ही उन, कमियों को शामिल करते हैं जिनकी पहचान हम अपनी लेखा परीक्षा के दौरान करते हैं।

हम प्रशासन में शामिल लोगों को भी एक ऐसा विवरण उपलब्ध करवाते हैं जिसे हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं, और हमारी उन स्वतंत्रताओं का वहन करने के लिए उपयुक्त रूप से आवश्यक सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ को तथा जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के साथ तैयार किया है।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के संबंध में भारत

सरकार द्वारा जारी, कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 (“आदेश”) द्वारा यथा अपेक्षित, हम अनुलग्नक ‘क’ में आदेश के पैराग्राफ 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट तथ्यों पर, विवरण पेश करते हैं।

2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (5) के संबंध में जांच किए जाने वाले क्षेत्रों की विनिर्दिष्ट करते हुए निर्देश जारी किए हैं, जिनका अनुपालन अनुलग्नक ‘ख’ में दिया गया है।
3. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षा के अनुसार, हम सूचित करते हैं कि :

ए. हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजना से आवश्यक थे;

बी. हमारी राय में, कंपनी ने कानून की अपेक्षाओं के अनुसार उपयुक्त बही खाते रखे हैं जैसा कि उन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है;

सी. इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन-पत्र, लाभ व हानि विवरण/(अन्य व्यापक आय सहित), और नकदी प्रवाह विवरण सुसंगत बही खातों के अनुरूप हैं;

डी. हमारी राय में, उपर्युक्त लेखांकन मानक एकल वित्तीय विवरणों में अधिनियम के अंतर्गत जारी सुसंगत नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का पालन किया गया है।

ई. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक सरकारी कंपनी है। अतएव, भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना सं. 463(ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुपालन में अधिनियम की धारा 164(2) का प्रावधान लागू नहीं होता है।

एफ. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और ऐसे नियंत्रणों के प्रभावकारी ऑपरेशन की पर्याप्तता के संबंध में “अनुलग्नक-ग” में हमारी अलग रिपोर्ट का संदर्भ

लें; और

जी. यथा संशोधित, कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दी गई जानकारी के अनुसार :

- i. (जैसा की हमें सूचित किया गया है) कंपनी ने 31.03.2023 की तिथि पर लंबित कानूनी देयताओं का प्रकटन किया है - एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी सं. 29 (XVII) (a) देखें। जिसका प्रभाव कम्पनी की वित्तीय स्थिति पर पड़ सकता है।
- ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न संविदाओं सहित कोई दीर्घकालीन संविदा नहीं है जिनपर कोई बड़ी हानि का पूर्वानुमान लगाया जा सके।
- iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिन्हें कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में अंतरित किया जाना अपेक्षित हो।

कृते एस.आर. गुप्ता एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
(फर्म रजि0 सं0 001939 सी)



(वी.के. गुप्ता)
साड़ीदार

(सदस्य सं0 014747)

UDIN : 23014745BGW00T1087

दिनांक : 31 मई, 2023
स्थान : प्रयागराज

अंकेक्षण प्रतिवेदन का संलग्नक 'अ'

पैराग्राफ 1 में संदर्भित भारत पंप्स एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड के सदस्यों को सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' शीर्षक के तहत 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर:

हमारे द्वारा मांगी गई और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और लेखापरीक्षा के सामान्य पाठ्यक्रम में हमारे द्वारा जांच की गई पुस्तकों और अभिलेखों के संदर्भ में और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हम कहते हैं कि:

- (i) (ए) कंपनी ने अचल संपत्तियों का विवरण और स्थितियाँ मात्रात्मक सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है। वर्ष के दौरान मुंबई स्थित फ्लैटों को छोड़कर ऐसी सभी संपत्तियां ई-नीलामी के माध्यम से बेची गईं।
कंपनी ने अमूर्त संपत्तियों का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है। वर्ष के दौरान, ऐसी सभी संपत्तियां ई-नीलामी के माध्यम से बेची गईं।
(बी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ई-नीलामी से पहले अचल संपत्तियों का प्रबंधन के साथ-साथ स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया था।
(सी) कंपनी के पास भूमि और भवनों के रूप में अचल संपत्तियां थीं। वर्ष के दौरान नैनी स्थित भवन एवं स्थाई संरचना सहित समस्त 295.45 एकड़ भूमि भारत सरकार के निर्णय दिनांक-17.12.2020 के अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार को निःशुल्क सौंप दी गई है।। तदनुसार, मुंबई में स्थित आवासीय फ्लैटों को छोड़कर सभी अचल संपत्तियों की शेष राशि 31.03.2023 तक शून्य हो गई।
(डी) वर्ष के दौरान, कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत

परिभाषित पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा संयंत्र और उपकरण और अन्य चल संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया गया है। इसके बाद, सभी चल संपत्तियां ई नीलामी के माध्यम से एमएसटीसी के ई-पोर्टल पर बेच दी गई हैं। क्योंकि कंपनी पहले से ही बंद होने की प्रक्रिया में है और कुल बिक्री मूल्य का हिसाब लगाने के बाद 31.03.2023 को सभी चल संपत्तियों का मूल्य शून्य हो गया।

(ई) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित है। इसलिए, आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (i)(e) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ii) (ए) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, पहले कंपनी के आंतरिक विंग द्वारा परीक्षण जांच के आधार पर इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया गया था। हालाँकि, वर्ष के दौरान स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म द्वारा सत्यापन के बाद सभी इन्वेंट्री ई-नीलामी के माध्यम से बेच दी गई हैं। तदनुसार, 31.03.2023 को इन्वेंट्री का मूल्य शून्य था।

(बी) कंपनी को वर्ष 2022-23 के दौरान किसी भी समय 5 करोड़ से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है।

(iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और खातों की किताबों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने कंपनियों, फर्मों में कोई निवेश नहीं किया है / गारंटी नहीं दी है / सुरक्षित या असुरक्षित कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है जो की सीमित देयता भागीदारी अधिनियम की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल करने योग्य हो। इसलिए, आदेश के पैराग्राफ 3 के उप-खंड (ए), (बी), (सी), (डी), (ई), (एफ) के

प्रावधान लागू नहीं होते हैं और इसलिये उन पर टिप्पणी नहीं की जाती है।

(iv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई ऋण, निवेश, गारंटी और प्रतिभूतियां नहीं दी हैं, जिस पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधान लागू होते हैं।

(v) कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों और धारा 73 से 76 के प्रावधान या कंपनी अधिनियम 2013 और कंपनी नियम, 2015 के किसी भी अन्य प्रासंगिक प्रावधान के अनुसार जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है। अतः जनता से स्वीकार की गई जमाराशियों के संबंध में उक्त प्रावधान लागू नहीं हैं।

(vi) हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) और कंपनी (लागत रिकॉर्ड और ऑडिट) नियम 2014 के तहत प्रदान की गई किसी भी सेवा/गतिविधि के लिए संशोधित लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्धारित नहीं किया गया है।

(vii) (अ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा निरक्षित और जांच की गई पुस्तकों और रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी आमतौर पर भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया जमा करने में नियमित है। , सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, जीएसटी, उपकर और लागू सीमा तक अन्य वैधानिक बकाया, उचित अधिकारियों के पास समय से जमा किया गया है।

और

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 2023 तक देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए कोई निर्विवाद वैधानिक बकाया नहीं है।

(ब) वर्ष के दौरान, कंपनी ने आयकर और सीमा शुल्क का पुराना बकाया जमा कर दिया है, जिसे पहले आकस्मिक देनदारियों के रूप में दिखाया गया था। तदनुसार, 31.03.2023 तक वैधानिक बकाया से संबंधित कोई आकस्मिक देनदारियां मौजूद नहीं हैं।

(viii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऐसा कोई लेनदेन नहीं है जो खाते की किताबों में दर्ज नहीं किया गया था, जिसे आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या खुलासा किया गया हो।

(ix) ए) हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के रिकॉर्ड और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने भारत सरकार से गैर योजना ऋण को छोड़कर वित्तीय संस्थान और डिबेंचर धारकों से कोई ऋण प्राप्त नहीं किया है। रुपये के ब्याज सहित सरकारी ऋण की अदायगी में चूक हुई। निम्नलिखित विवरण के अनुसार 16429 लाख-

(₹ in lacs)

उधार लेने की प्रकृति, ऋण प्रतिभूतियां सहित	ऋणदाता का नाम	देय तिथि पर भुगतान नहीं की गई राशि (लाख रुपये में)	क्या मूलधन या ब्याज (लाख रुपये में)	विलंबित दिनों की संख्या	टिप्पणियां, यदि कोई हो
गैर-योजना ऋण	भारत सरकार	16429	मूलधन - 11159 ब्याज- 5270	देय तिथि- (विलंब 3 वर्ष से 7 वर्ष)	***

*** भारत सरकार के निर्णय के अनुसार पत्र दिनांक 17.12.2020 के माध्यम से, कंपनी बंद करने की प्रक्रिया में है। सरकार, रुपये के एकमुश्त अनुदान 316.09 करोड़ रुपये सभी हितधारकों की देनदारियों/बकाया के निर्वहन के लिये मंजूरी दे दी है। और सरकारी ऋण पर ब्याज 31.03.2020 के बाद लगाने पर मनाही किया गया है। इस उल्लेख के साथ कि ग्राहकों से वसूली / चल संपत्ति की बिक्री का भुगतान सरकार को 164.29 करोड़ के देयता के बिरुद्ध किया जाएगा। ऋण और ब्याज की की शेष बकाया राशि ऋण और ब्याज, यदि कोई हो, सरकार द्वारा माफ किया जायेगा।

- बी) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।
- सी) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऋण उसी उद्देश्य के लिए प्रयोग किए गए थे जिसके लिए ऋण प्राप्त किए गए थे।
- डी) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अल्पकालिक आधार पर कोई धन नहीं जुटाया गया है जिसका उपयोग दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए किया गया हो।
- ई) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी इकाई या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है।
- एफ) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर वर्ष के दौरान ऋण नहीं उठाया है।
- (X) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है।
- (xi) ए) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और प्रबंधन के प्रतिनिधित्व के आधार पर जिस पर हमने भरोसा किया है, कंपनी द्वारा या उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर कोई धोखाधड़ी देखी या रिपोर्ट नहीं की गई है।
- बी) वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कोई रिपोर्ट ऑडिटर्स द्वारा कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी-4 में केंद्रीय सरकार के साथ दायर नहीं की गई है।
- सी) लेखापरीक्षक के रूप में, हमें वर्ष के दौरान कोई विसलब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई।
- (xii) हमारी राय में, कंपनी निधि कंपनी नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3(xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए, इस पर टिप्पणी नहीं की गई है।
- (xiii) रिपोर्टिंग के उद्देश्य से की गई ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहां लागू हो और विवरण लागू लेखांकन मानकों के अनुसार, संबंधित पार्टी लेनदेन को स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में विधिवत प्रकट किया गया है।
- (xiv) हमें पहले दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी 2020-21 तक चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्वतंत्र फर्म को आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त कर रही थी, जो व्यवसाय के आकार और संचालन के अनुरूप था। हालाँकि, 2021-22 से, भारत सरकार के 17.12.2020 को सूचित समापन निर्णय के अनुपालन में परिचालन बंद होने के कारण कंपनी ने आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त नहीं किया है। वर्ष के दौरान कारोबार शून्य था. इसलिए, आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (ग्न) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- (xv) कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 192 के तहत निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है।
- (xvi) ए) कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।
- बी) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियां संचालित नहीं की हैं।
- सी) कंपनी एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (सीआईसी) नहीं है जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है।

(डी) प्राप्त जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, समूह के पास समूह के हिस्से के रूप में कोई (सीआईसी) नहीं है। (नंग) कंपनी को वित्तीय वर्ष और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में नकद घाटा हो रहा है क्योंकि कंपनी पहले से ही बंद होने की प्रक्रिया में है और भारत सरकार 17.12.2020 को सूचित बंद करने के फैसले के अनुपालन में पिछले साल से परिचालन बंद कर दिया गया है।।

(xviii) वर्ष के दौरान वैधानिक लेखापरीक्षकों के इस्तीफे का कोई मामला सामने नहीं आया है।

(xix) हालाँकि, कंपनी भारत सरकार के निर्णय के अनुरूप बंद होने की प्रक्रिया में है लेकिन कंपनी बैलेंस शीट की तारीख पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम है, जब भी बैलेंस शीट की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर देय होती हैं। सरकार से प्राप्त गैर-वापसीयोग्य अनुदान तथा चल संपत्तियों की बिक्री के विरुद्ध प्राप्त /स्वयं उत्पन्न निधि से उक्त देनदारियों का भुगतान कर दिया जायेगा।

(xx) कंपनी के पास कोई व्यावसायिक संचालन/चालू

परियोजनाएं नहीं हैं और कंपनी ने दूसरे के अनुपालन में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर कंपनी अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) का परंतुक;अनुसूची ऋ में निर्दिष्ट निधि में खर्च न की गई राशि को हस्तांतरित नहीं किया है।

(xxi) कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है। इसलिए, कंपनी को समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (ग) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

कृते एस.आर. गुप्ता एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
(फर्म रजि० सं० 001939 सी)



(वी.के. गुप्ता)

साड़ीदार

(सदस्य सं० 014747)

UDIN : 23014745BGW00T1087

दिनांक : 31 मई, 2023

स्थान : प्रयागराज

भारत पम्पस् एवं कम्प्रेसर्स लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद के 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के संबन्ध में
कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अन्तर्गत निर्देशन पर टिप्पणियाँ।

संलग्नक - 'ब'

क्रम सं०	उप निर्देशन	टिप्पणियाँ
1.	क्या कंपनी के पास आईटी के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की व्यवस्था है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेन देनो की प्रक्रिया का प्रभाव साथ में वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, उल्लेख करें।	हां। कंपनी का लेखा-जोखा ऑनरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम में कम्प्यूटरीकृत है। सभी लेनदेन अंततः आईटी सिस्टम के माध्यम से होते हैं। इस प्रकार, न तो खातों की अखंडता पर कोई प्रभाव पड़ता है और न ही कोई वित्तीय प्रभाव पड़ता है।
2.	क्या कंपनी के ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋण की कोई पुनर्रचना है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को ऋण/ऋण/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव के बारे में उल्लेख करें। क्या ऐसी घटनाओं का लेखांकन किया गया है? यदि उधार देने वाला सरकारी कम्पनी है तो यह निर्देश उधार देने वाली कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षक पर भी लागू होता है।	सरकार द्वारा पूर्व में दिए गए ऋण पर ब्याज की फ्रीजिंग 31.03.2020 तक कर दी गयी है। मौजूदा सरकार के द्वारा दिया हुआ ऋण और ब्याज की राशि रु. 164.29 करोड़ का भुगतान ग्राहकों से संग्रह / चल संपत्ति की बिक्री से किये जाने का उल्लेख है। और सरकार की बकाया ऋण राशि और ब्याज, यदि कोई बचेगी तो उसे बट्टे खाते में डालना। वर्ष के दौरान कंपनी ने सरकार द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज राशि रु. 2011.35 लाख का प्रावधान नहीं किया है।
3.	क्या केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची।	भारत सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान का पूर्ण उपयोग स्वीकृत के शर्तों के अनुरूप विभिन्न हित धारकों को भुगतान कर दिया गया है।

कृते एस.आर. गुप्ता एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
(फर्म रजि० सं० 001939 सी)


(वी.के. गुप्ता)

साझीदार

(सदस्य सं० 014747)

UDIN : 23014745BGW00T1087

दिनांक : 31 मई, 2023

स्थान : प्रयागराज

स्वतंत्र लेखा - परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'सी'

(वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) के अनुसार और हमारी रिपोर्ट की विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के पैरा 3 (एफ) के संदर्भ में)

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के खण्ड (घ) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेसर्स लि. ("कम्पनी") की 31 मार्च, 2022 को वित्तीय रिपोर्टिंग पर प्रबंधन द्वारा व्यक्तियों एवं पूर्व आन्तरिक अंकेक्षक द्वारा निर्धारित प्रश्नावलियों पर विश्वास किया है। (वर्ष 2020-21 से कोई भी वाह्य आन्तरिक अंकेक्षक नियुक्त नहीं किया गया है) तथा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अंकेक्षण उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के साथ किया है।

वित्तीय आंतरिक नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण पर मार्गदर्शी नोट में उल्लेखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों का विचार करके कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदण्ड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और इसके प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। इस जिम्मेदारी में कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार कंपनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी पता लगाना और रोकथाम करना, लेखा अभिलेखों की सत्यता और संपूर्णता, तथा विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को यथासमय तैयार करने सहित इसके कार्यकलापों का यथासमय और प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने के लिए उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रचना, कार्यान्वयन और प्रबंधन शामिल है, जो प्रभावी रूप से संचालित हो।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा-परीक्षा पर आधारित कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी राय व्यक्त करने की है। इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए लेखा-परीक्षा के मानकों तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर मार्गदर्शी नोट तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत अपेक्षाओं के अनुसार हमने हमारा अंकेक्षण किया है, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर लेखपरीक्षा के लिए लागू सीमा तक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर लागू है, और दोनों

इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों से अपेक्षित है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और योजना बनायें और लेखा-परीक्षा यह आश्वासन होने के लिए करें कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित किया गया और प्रबंधन किया गया और ऐसे नियंत्रण सभी भौतिकीय मायनों में प्रभावी रूप से संचालित हैं

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और इसके प्रभावी संचालन के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर सहमति प्राप्त करना, भौतिकीय कमजोरी होने के जोखिम का निर्धारण करना, निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की रचना और प्रभावी संचालन का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रिया अंकेक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती है जिसमें वित्तीय विवरणों की भौतिकीय गड़बड़ी के जोखिम का निर्धारण शामिल है, फिर चाहे वह धोखे से हो या त्रुटि से हो।

हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा-परीक्षा राय हेतु एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की व्याख्या

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने और वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उचित आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए बनायी गई एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वह नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (1) अभिलेखों के रखरखाव के संबंध में, जो कंपनी की संपत्तियों के संव्यवहारों और प्रबंधनों का उपयुक्त विवरण सही और निष्पक्ष रूप से प्रदर्शित करते हो, (2) उपयुक्त आश्वासन उपलब्ध कराने के संबंध में कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में वित्तीय विवरण बनाने की अनुमति के लिए अपेक्षित संव्यवहारों को अभिलेखित किया गया है और कंपनी की प्राप्तियों और व्ययों को केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसरण में ही किया जा रहा है, तथा (3) कंपनी की संपत्तियों के अप्राधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या प्रबंधन

का यथासमय पता लगाने या रोकथाम के संबंध में उपयुक्त आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए, जो वित्तीय विवरणों पर भौतिकीय प्रभाव डाल सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमा


वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमा के कारण सॉठ-गॉठ या अनुचित प्रबंधन से नियंत्रणों का उल्लंघन, गलती या धोखाधड़ी से भौतिकीय गलतबयानी हो सकती है, और पता नहीं चली हो। इसके अलावा, भावी, अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का प्रदर्शन इस जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव का कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर भ्रष्ट हो सकता है।

राय

हमारी राय में तथा हमारी सूचना एवं स्पष्टीकरण पर विश्वास करते हुए, कंपनी ने 31 मार्च, 2023 वित्तीय वर्ष में कोई भी उत्पादन कार्य नहीं किया है लेकिन चल सम्पत्तियों को बेचने एवं अन्य वित्तीय लेनदेन के सम्बन्ध में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा है। और इन वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्डेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शी नोट में उल्लेखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों का विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदण्डों को पूरा किया है।

दिनांक : 31 मई, 2023
स्थान : प्रयागराज

कृते एस.आर. गुप्ता एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
(फर्म रजि० सं० 001939 सी)



(वी.के. गुप्ता)
साझीदार

(सदस्य सं० 014747)
UDIN : 23014745BGW00T1087

संतुलन - पत्र जैसा कि 31 मार्च, 2023 को

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	जैसा कि 31 मार्च, 2023 को था		जैसा कि 31 मार्च, 2022 को था	
1	2	3		4	
I. साम्य पूँजी और दायित्वायें					
(1) अंशधारियों की निधियाँ					
(अ) अंश पूँजी	1	5353.10		5353.10	
(ब) सुरक्षित एवं अधिशेष	2	(15751.88)	(10398.78)	(14395.37)	(9042.27)
(2) गैर चालू दायित्वायें					
(अ) दीर्घ कालिक ऋण	3	0.00		0.00	
(ब) अन्य दीर्घ कालिक दायित्वायें	4	0.00		0.00	
(स) दीर्घ कालिक प्रावधान	5	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) चालू दायित्वायें					
(अ) अल्प कालिक ऋण	6	0.00		0.00	
(ब) व्यवसायिक देय		0.00		485.28	
(स) अन्य चालू दायित्वायें	7	18001.50		18189.62	
(द) अल्प कालिक प्रावधान	8	0.00	18001.50	0.00	18674.90
(4) अस्थगित कर देयताएँ	11		0.00		215.62
	योग		7602.72		9848.25
II. सम्पत्तियाँ					
(1) गैर चालू सम्पत्तियाँ					
(अ) स्थायी सम्पत्तियाँ	9				
(i) मूर्त सम्पत्तियाँ		6.29		2125.14	
(ii) अमूर्त सम्पत्तियाँ		0.00		2.33	
		6.29		2127.47	
(अ) गैर चालू निवेश	10	0.00		0.00	
(ब) दीर्घ कालिक ऋण एवं अग्रिम	12	0.00		0.00	
(स) अन्य गैर चालू सम्पत्तियाँ	13	0.00	6.29	0.00	2127.47
(2) चालू सम्पत्तियाँ					
(अ) माल सूची	14	0.00		2521.49	
(ब) व्यवसायिक प्राप्य	15	0.00		265.39	
(स) नगद एवं नगद तुल्य	16	7459.39		3642.84	
(द) लघु कालिक ऋण एवं अग्रिम	17	137.04	7596.43	1291.06	7720.78
	योग		7602.72		9848.25

जुड़ी हुयी टिप्पणियाँ 1 से 29 वित्तीय विवरण का अंगभूत अंग है।
हमारे सम दिनांक के प्रतिवेदन के संदर्भित है।

कृते एस.आर. गुप्ता एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार



(वी.के. गुप्ता)

साझीदार

(सदस्य सं० 014745)


UDIN : 23014745BGW00T1087



(इन्द्रसेन सिंह)

मुख्य वित्त अधिकारी


तथा कम्पनी सचिव



(ए. के. दीवान)

निदेशक

DIN : 10170576



(के.एस. मूर्ति)

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

DIN : 09184201

स्थान : इलाहाबाद

दिनांक : 31.05.2023


31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ-हानि विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	समाप्ति वर्ष 31 मार्च, 2023 के लिए	समाप्ति वर्ष 31 मार्च, 2022 के लिए
1	2	3	4
(I) परिचालन से राजस्व :	18		
निर्मित माल की बिक्री एवं सेवाओं से सकल राजस्व		0.00	1091.43
घटाये : जी.एस.टी.		0.00	122.96
निर्मित माल की बिक्री एवं सेवाओं से शुद्ध राजस्व		0.00	968.47
अन्य परिचालित राजस्व		0.00	3.99
		0.00	972.46
(II) अन्य आय	19	4444.44	3765.26
(III) कुल राजस्व		4444.44	4737.72
(IV) व्यय :			
उपयोग किये गये पदार्थों का मूल्य	20	0.00	139.42
निर्मित एवं अर्धनिर्मित सामानों की माल सूची में बदलाव	21	412.02	180.00
कर्मचारी लाभ का खर्च	22	0.00	368.36
वित्तीय लागत		10.59	469.74
अवमूल्यन एवं परिशोधन खर्च	9	68.74	448.39
अन्य खर्च	23	1024.51	1120.47
अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते में डालना		171.37	7099.99
कुल खर्च		1687.23	9826.37
विशेष और असाधारण मद एवं कर पूर्व लाभ		2757.21	(5088.65)
असाधारण मद वी.आर.एस एवं बकाया 1997	24	62.72	64.71
कर पूर्व लाभ		2694.49	(5153.36)
कर खर्च			
चालू कर		0.00	0.00
पूर्ववर्ती कर		4253.08	0.00
स्थगित कर		(215.62)	215.62
		4037.46	215.62
वर्ष का लाभ		(1342.97)	(5368.98)
आय प्रति अंश (अंकित मूल्य ₹0 1000/- प्रति)			
मौलिक अंश		₹ (250.88)	₹ (1002.97)
अमूल्यन एवं परिशोधन अंश		₹ (250.88)	₹ (1002.97)

जुड़ी हुयी टिप्पणियाँ 1 से 29 वित्तीय विवरण का अंगभूत अंग हैं।
हमारे सम दिनांक के प्रतिवेदन के संदर्भित हैं।

कृते एस.आर. गुप्ता एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार



(वी.के. गुप्ता)

साझीदार

(सदस्य सं० 014745)


UDIN : 23014745BGW00T1087



(इन्द्रसेन सिंह)

मुख्य वित्त अधिकारी


तथा कम्पनी सचिव



(ए. के. दीवान)

निदेशक

DIN : 10170576



(के.एस. मूर्ति)

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

DIN : 09184201

स्थान : इलाहाबाद

दिनांक : 31.05.2023

31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष का रोकड़ प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

	समाप्ति वर्ष 31 मार्च 2023 के लिए	समाप्ति वर्ष 31 मार्च 2022 के लिए
(अ) कार्य की गतिविधियों से रोकड़ बहाव :		
कर से पूर्व लाभ	2694.49	(5153.36)
समायोजन :-		
अवमूल्यन	68.74	436.48
ब्याज से आय	(268.40)	(10.42)
ब्याज से व्यय	10.59	469.74
अवमूल्यन प्रतिलेखित	(8495.41)	0.00
कार्य पूंजी बदलाव से पहले संचालित लाभ	(5989.99)	(4257.56)
कार्य पूंजी में बदलाव :		
भण्डारण में बढ़त / घटत	2521.49	154.33
व्यवसायिक प्राप्तियों, ऋण एवं अग्रिम और अन्य सम्पत्तियों में बढ़त / घटत	317.80	5994.30
व्यवसायिक देनदारी और अन्य दायिताओं में बढ़त/घटत	(673.40)	(19092.45)
कुल कार्यशील पूंजी बदलाव - घटत / (बढ़त)	2165.89	(12943.82)
प्रचालन गतिविधियों से शुद्ध नगद	(3824.10)	(17201.38)
अदा किया गया कर	4359.86	0.00
समायोजित कर	1139.16	0.42
प्रचालन गतिविधियों से शुद्ध नगद (अ)	(7044.80)	(17200.96)
(ब) निवेश की गतिविधियों से रोकड़ बहाव :		
स्थायी परिसम्पत्तियों का क्रय एवं अस्थगित आय व्यय प्राप्त ब्याज	0.00	0.00
	337.47	10.42
निवेश गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ बहाव (ब)	337.47	10.42
(स) वित्त प्रबन्धन गतिविधियों से रोकड़ बहाव :		
अंश पूंजी में बढ़त / (घटत)	0.00	0.00
प्रावधानों से बढ़त / (घटत)	0.00	(1944.86)
सुरक्षित एवं अतिरिक्त में बढ़त / (घटत)	(13.54)	16822.00
लम्बे समय के कर्ज एवं अग्रिम में (बढ़त)/घटत	0.00	0.00
लम्बे अवधि की दायित्वों में बढ़त/(घटत)	0.00	0.00
अदा किया गया ब्याज	(10.59)	(1189.36)
लघु अवधि ऋण का पुनः भुगतान	10548.01	0.00
अदा किया गया लाभांश और लाभांश कर	0.00	0.00
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नगद (स)	10523.88	13687.78
नकद एवं नकद पर्यायों में निवल वृद्धि (अ+ब+स)	3816.55	(3502.76)
वर्ष के प्रारम्भ में नकद एवं नकद पर्याय	3642.84	7145.60
वर्ष के अन्त में नकद एवं नकद पर्याय	7459.39	3642.84
टिप्पणी :		
नकद एवं नकद पर्यायों के अवयव :		
नकद एवं बैंक अवशेष	7459.39	3642.84
आरक्षित ऋण (नगद साख)	0.00	0.00
अपरोक्त के अनुसार नकद व नकद पर्याय	7459.39	3642.84
(कोष्ठक में दिये गये आंकड़े नकारात्मक आंकड़े प्रस्तुत करते हैं)		

जुड़ी हुयी टिप्पणियाँ 1 से 29 वित्तीय विवरण का अंगभूत अंग हैं।
हमारे सम दिनांक के प्रतिवेदन के संदर्भित हैं।

कृते एस.आर. गुप्ता एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार



(वी.के. गुप्ता)

साझीदार


(सदस्य सं० 014745)



(इन्द्रसेन सिंह)

मुख्य वित्त अधिकारी

तथा कम्पनी सचिव



(ए. के. दीवान)

निदेशक

DIN : 10170576



(के.एस. मूर्ति)

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

DIN : 09184201

स्थान : इलाहाबाद

UDIN : 23014745BGW00T1087

दिनांक : 31.05.2023

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

(1) अंश पूँजी

अधिकृत पूँजी

₹ 1000 के प्रत्येक अंश के रूप में 6,50,000 साम्य अंश (विगत वर्ष ₹ 1000/- मूल्य के प्रत्येक अंश के रूप के प्रत्येक अंश के रूप में ₹ 6,50,000 साम्य अंश)

जैसा कि
31.03.2023 को था

6500.00

जैसा कि
31.03.2022 को था

6500.00

निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूँजी :

1000 मूल्य के प्रत्येक अंश के रूप में पूर्ण रूपेण अदा किये गये 535310 साम्य अंश (विगत वर्ष ₹ 1,000 मूल्य के प्रत्येक अंश के रूप में कुल 535310 साम्य अंश)

5353.10

5353.10

उपरोक्त में से 1588 साम्य अंश भारत सरकार द्वारा कम्पनी पर स्थापना से पूर्व किये गये व्यय के लिए आवंटित किये गये हैं। उपरोक्त में ₹ 1000 के प्रत्येक के रूप में पूर्ण रूपेण अदा किये गये 535309 साम्य अंश माननीय राष्ट्रपति, भारत सरकार द्वारा नामित के पास है। (विगत वर्ष के 535309 साम्य अंश माननीय राष्ट्रपति, भारत सरकार द्वारा नामित के पास थे।) कम्पनी के पास 1000 रूपये के सममूल्य के समता अंश के एक ही श्रेणी के अंश है। इन अंशों का स्तर मतदान एवं लाभांश भुगतान में प्रथम वरीयता का माना जाता है भारत के राष्ट्रपति ही एक मात्र अंशधारी हैं। जिनके पास कुल अंशों के 5% से ज्यादा अंश हैं।

5353.10

5353.10

(2) आरक्षित एवं अधिशेष :

आरक्षित पूँजी

वर्ष के प्रारम्भ में :

29078.70

12256.70

0.00

16822.00

13.54

0.00

29065.16

29078.70

वर्ष के अन्त में

लाभ-हानि के विवरण में अधिशेष :

वर्ष के प्रारम्भ में

(43474.07)

(38105.09)

जोड़े : वर्ष के लिए लाभ

(1342.97)

(5368.98)

वर्ष के अन्त में

(44817.04)

(43474.07)

योग :

(15751.88)

(14395.37)

जैसा कि
31.03.2023 को था

जैसा कि
31.03.2022 को था

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

	जैसा कि 31.03.2023 को था	जैसा कि 31.03.2022 को था
(3) दीर्घ कालिक ऋण :		
सम्बन्धित पक्ष से ऋण तथा अग्रिम सुरक्षित		
भारत सरकार से ऋण (असुरक्षित)	0.00	0.00
योग:	0.00	0.00

टिप्पणी :

- (1) बी.एच.ई.एल. से प्राप्त ऋण कम्पनी की तीन मशीनों की गिरवी से सुरक्षित है और यह पाँच वार्षिक किश्तों में बैंक दर के बराबर ब्याज जोड़कर पहली वर्षगांठ से मासिक बची राशि पर देय हैं। ऋण की शर्तों के अनुसार पुर्नभुगतान की अवधि 10.01.2017 को पूर्ण हो गयी थी, हालाँकि वर्ष 2021-22 में ब्याज सहित कुल ऋण का भुगतान कर दिया गया है। भारत सरकार से गैर योजनागत ऋण पाँच वार्षिक किस्तों में देय है तथा ऋण की प्रथम वर्षगांठ से 13.5 प्रतिशत की दर से ब्याज देय है।
- (2) दीर्घ कालिक ऋणों का परिपक्वता सारणी का संक्षेप निम्न है :

	2022-23	2021-22
ऋणों का भुगतान		
प्रथम वर्ष में (टिप्पणी संख्या-7)	11159.00	11159.00
दीर्घ कालिक ऋण का चालू परिपक्वता	11159.00	11159.00
द्वितीय वर्ष में	0.00	0.00
तीसरे से पाँचवें वर्ष में	0.00	0.00
पाँच वर्ष पश्चात	0.00	0.00
दीर्घ कालिक ऋण	0.00	0.00

	जैसा कि 31.03.2023 को था	जैसा कि 31.03.2022 को था
(4) अन्य दीर्घ कालिक दायितार्ये :		
अन्य डिपॉजिट	0.00	0.00
योग:	0.00	0.00

	जैसा कि 31.03.2023 को था	जैसा कि 31.03.2022 को था
(5) दीर्घ कालिक प्रावधान :		
कर्मचारियों के लाभ हेतु प्रावधान	0.00	0.00
उपदान हेतु प्रावधान	0.00	0.00
अवकाश नकदीकरण हेतु प्रावधान	0.00	0.00
योग:	0.00	0.00

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

	जैसा कि 31.03.2023 को था	जैसा कि 31.03.2022 को था
(6) अल्प कालिक ऋण :		
सुरक्षित बैंकों से ऋण		
नगद साख सुविधा स्टेट बैंक नैनी द्वारा (नगद साख सुविधा समस्त चालू सम्पत्तियों के दृष्टि बन्धक द्वारा सुरक्षित हैं)	0.00	0.00
योग :	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
(7) अन्य चालू दायितार्ये :		
दीर्घ कालिक ऋण की चालू परिपक्वता (टिप्पणी सं० 3)	11159.00	11159.00
ऋण पर उपार्जित ब्याज	5270.42	5270.42
	0.00	0.00
विभिन्न जमा	0.03	8.69
स्थायी सम्पत्ति हेतु देय	0.00	0.00
सांविधिक दायितार्ये	11.16	151.99
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	0.00	0.00
अन्य	1560.89	1599.52
योग :	<u>18001.50</u>	<u>18189.62</u>
(8) अल्प कालिक प्रावधान :		
दीर्घ कालिक कर्मचारी लाभ का चालू भाग		
उपदान हेतु प्रावधान	0.00	0.00
अवकाश नकदीकरण हेतु प्रावधान	0.00	0.00
योग :	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ
(9) स्थायी परिसम्पत्तियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	सकल खंड				मूल्य ह्रास तथा संक्रामण				शुद्ध खंड	
	जैसा कि 31.03.2022 को था	संयोजन	वापसी एवं समायोजन	जैसा कि 31.03.2023 को था	31.03.2022 तक	वर्ष के लिये समायोजन पर	31.03.2023 तक	जैसा कि 31.03.2023 को था	जैसा कि 31.03.2022 को था	
	वास्तविक सम्पत्तियाँ									
भूमि (निर्बन्ध)	10.04	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.04	
अवस्थान तलेक्षण एवं विकास	5.72	0.00	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.72	
सड़के एवं पुल	15.04	0.00	15.04	0.00	14.29	0.00	0.00	0.00	0.75	
भवन	529.07	0.00	512.83	16.24	415.49	5.02	410.56	6.29	113.58	
जल एवं गन्दे पानी की निकासी एवं जल आपूर्ति	39.59	0.00	39.59	0.00	35.42	0.45	35.87	0.00	4.17	
संयंत्र तथा मशीन	8216.25	0.00	8216.25	0.00	6447.49	58.79	6506.28	0.00	1768.76	
विद्युत साज-समान और प्रतिष्ठापन (कारखाना)	160.29	0.00	160.29	0.00	159.78	0.00	159.78	0.00	0.51	
विद्युत साज-समान और प्रतिष्ठापन कार्यालय	73.96	0.00	73.96	0.00	71.94	0.02	71.96	0.00	2.02	
डाटा प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट	242.77	0.00	242.77	0.00	237.82	0.00	237.82	0.00	4.95	
वाहन	20.06	0.00	20.06	0.00	19.49	0.00	19.49	0.00	0.57	
कार्यालय एवं कार्यालय संबंधी अन्य विविध उपकरण	275.47	0.00	275.47	0.00	266.72	0.08	266.80	0.00	8.75	
फर्नीचर एवं स्थिर वस्तुएँ	65.16	0.00	65.16	0.00	64.51	0.00	64.51	0.00	0.65	
दूरभाष केन्द्र तथा फैक्स मशीन	23.33	0.00	23.33	0.00	22.64	0.01	22.65	0.00	0.69	
पेटर्न एवं ड्राई	796.88	0.00	796.88	0.00	592.90	4.25	597.15	0.00	203.98	
योग	10473.63	0.00	10457.39	16.24	8348.49	68.62	8407.16	9.95	2125.14	
विगत वर्ष	10473.63	0.00	0.00	10473.63	7912.17	436.32	0.00	8348.49	2125.14	
अमूर्त सम्पत्तियाँ :										
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	90.62	0.00	90.62	0.00	88.13	0.12	88.25	0.00	2.33	
योग :	90.62	0.00	90.62	0.00	88.13	0.12	88.25	0.00	2.33	
विगत वर्ष	90.62	0.00	0.00	90.62	88.13	0.16	0.00	88.29	2.33	
महायोग :	10564.25	0.00	10548.01	16.24	8000.30	68.74	8495.41	9.95	2127.47	
विगत वर्ष	10564.25	0.00	0.00	10564.25	8000.30	436.48	0.00	8436.78	2127.47	

(₹ लाख में)

2021-22

436.32
0.16
0.00
11.91
448.39

2022-23

68.62
0.12
0.00
0.00
68.74

टिप्पणियाँ :

(1) लाभ और हानि लेखा विवरण में लगाये गये अवमूल्यन एवं शेष का ब्यौर :

- (अ) वास्तविक परिसम्पत्ति पर लगाया गया अवमूल्यन जैसा कि ऊपर लिखित है
(ब) अमूर्त परिसम्पत्ति पर लगाया गया अवमूल्यन जैसा कि ऊपर लिखित है
* (स) फुटकर परिसम्पत्ति पर लगाया गया अवमूल्यन
(द) खुले औजारों पर लगाया गया अवमूल्यन
योग :

* एक सौ रुपये के मूल्य तक के समस्त फुटकर परिसम्पत्तियों के अवमूल्यन को चालू वर्ष में सीधे ऑफ कर दिया गया है।

(2) सकल खंड के आंकड़ों में ₹ 7.36 लाख रुपये (विगत वर्ष ₹ 7.36 लाख रुपये) शामिल नहीं है क्योंकि ₹ 100/- रुपये तक के मूल्य की प्रत्येक फुटकर सम्पत्ति को समीक्षा वर्ष के दौरान अपलिखित कर दिया गया है।

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

(10) गैर चालू निवेश :

क्रिसेन्ट कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड,
मुम्बई में ₹ 50/- प्रति के पूर्ण प्रदत्त पाँच अंश
लागत मूल्य पर (अनुदद्युत)

योग :

जैसा कि
31.03.2023 को था

0.00

0.00

जैसा कि
31.03.2022 को था

0.00

0.00

टिप्पणी : कुल ₹ 250/- मूल्य के निवेश (विगत वर्ष
₹ 250/-) यह व्यय लाख रूपये से कम होने के कारण
यहाँ 0.00 के रूप में प्रदर्शित किया गया है।

(11) आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ (शुद्ध) :

आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ:

कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान

उपदान

अवकाश नकदीकरण

भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान

भविष्य निधि में कर्मचारियों का अंशदान

जैसा कि

31.03.2023 को था

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

जैसा कि

31.03.2022 को था

6.74

9.98

0.00

0.00

16.72

232.34

-215.62

0.00

आस्थगित कर दायितार्ये :

स्थायी परिसम्पत्तियों पर राजकीय कर भत्ता

योग (शुद्ध) :

नोट :- चूँकि कर योग्य आय की कोई सम्भावना नहीं है तथा कम्पनी बंद हो गयी है।
AS-22 के अनुरूप स्थगित कर सम्पत्तियों का प्रावधान नहीं किया गया है।

(12) दीर्घ कालिक ऋण एवं :

पूँजीगत अग्रिम

असुरक्षित अच्छे समझे गये

धरोहर (डिपॉजिट)

असुरक्षित अच्छे समझे गये

अन्य ऋण एवं अग्रिम

असुरक्षित अच्छे समझे गये

अग्रिम कर (प्रावधान का शुद्ध)

योग :

जैसा कि

31.03.2023 को था

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

जैसा कि

31.03.2023 को था

0.00

0.00

जैसा कि

31.03.2022 को था

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

जैसा कि

31.03.2022 को था

0.00

0.00

(13) अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियाँ :

धरोहर (डिपॉजिट) पर उपार्जित ब्याज

योग :

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

(14) माल सूची :

(जैसा कि प्रबन्धन द्वारा इसे मूल्यांकित और प्रमाणित करके प्रस्तुत किया है)

कच्चा माल (लागत मूल्य पर)

अर्धनिर्मित कार्य (लागत मूल्य या प्राप्य मूल्य जो कम हो)

पम्पस एवं कम्प्रेसर्स

गैस सिलेण्डर्स

तैयार माल (निर्मित) :

(लागत मूल्य या प्राप्य मूल्य जो कम हो)

पम्पस एवं कम्प्रेसर्स

गैस सिलेण्डर

भण्डार तथा अतिरिक्त कल पुर्जे (लागत मूल्य पर)

खुले औजार (लागत मूल्यपर मूल्य ह्रास घटाने के बाद)

अवशिष्ट सामग्री (अनुमानित प्राप्त मूल्य पर)

योग :

पारगमन में निम्नलिखित सामान उपरोक्त में सम्मिलित है :

कच्चा माल

भण्डार तथा अतिरिक्त कल पुर्जे

योग :

	जैसा कि 31.03.2023 को था	जैसा कि 31.03.2022 को था
कच्चा माल (लागत मूल्य पर)	0.00	1381.89
अर्धनिर्मित कार्य (लागत मूल्य या प्राप्य मूल्य जो कम हो)		
पम्पस एवं कम्प्रेसर्स	0.00	282.36
गैस सिलेण्डर्स	0.00	95.66
तैयार माल (निर्मित) :		
(लागत मूल्य या प्राप्य मूल्य जो कम हो)		
पम्पस एवं कम्प्रेसर्स	0.00	0.00
गैस सिलेण्डर	0.00	34.00
भण्डार तथा अतिरिक्त कल पुर्जे (लागत मूल्य पर)	0.00	513.48
खुले औजार (लागत मूल्यपर मूल्य ह्रास घटाने के बाद)	0.00	47.63
अवशिष्ट सामग्री (अनुमानित प्राप्त मूल्य पर)	0.00	166.47
योग :	<u>0.00</u>	<u>2521.49</u>
पारगमन में निम्नलिखित सामान उपरोक्त में सम्मिलित है :		
कच्चा माल	0.00	0.00
भण्डार तथा अतिरिक्त कल पुर्जे	0.00	0.00
योग :	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

(15) व्यवसायिक प्राप्तियाँ :

बकाया जो भुगतान की तिथि से 6 महीने की

अवधि से अधिक बाकी हो (असुरक्षित, अच्छे समझे गये)

अन्य (असुरक्षित, अच्छे समझे गये)

अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान

योग :

	जैसा कि 31.03.2023 को था	जैसा कि 31.03.2022 को था
बकाया जो भुगतान की तिथि से 6 महीने की अवधि से अधिक बाकी हो (असुरक्षित, अच्छे समझे गये)	0.00	265.39
अन्य (असुरक्षित, अच्छे समझे गये)	0.00	0.00
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान	0.00	265.39
योग :	<u>0.00</u>	<u>265.39</u>

(16) नगद एवं नगद तुल्य :

बैंकों में जमा अवशेष

चालू/बचत/नगद साख खाता

सीमान्त धन खाता

नगद/डाक टिकटों के रूप में अवशेष

अन्य : बैंक में सावधि जमा राशि

योग :

	जैसा कि 31.03.2023 को था	जैसा कि 31.03.2022 को था
बैंकों में जमा अवशेष		
चालू/बचत/नगद साख खाता	299.33	325.76
सीमान्त धन खाता	0.00	214.74
नगद/डाक टिकटों के रूप में अवशेष	0.00	0.00
अन्य : बैंक में सावधि जमा राशि	7160.06	3102.34
योग :	<u>7459.39</u>	<u>3642.84</u>

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

	जैसा कि 31.03.2023 को था	जैसा कि 31.03.2022 को था
(17) अल्प कालिक ऋण एवं अग्रिम :		
अन्य (असुरक्षित, अच्छे समझे गये) कर्मचारियों को अग्रिम	0.00	1.07
क्रय हेतु अग्रिम	0.00	3.50
स्थायी परिसम्पत्तियों के क्रय हेतु अग्रिम	0.00	0.00
अन्य अग्रिम	0.00	8.46
	106.78	1139.32
वाणिज्यिक अग्रिम और वैधानिक/सरकारी प्राधिकरण/ निकायों के पास जमा	30.26	138.71
अन्य जमा	0.00	0.00
योग :	137.04	1291.06
(18) प्रचालन से राजस्व :		
सकल राजस्व :		
निर्मित सामानों के बिक्री से	0.00	1001.97
सेवाओं की बिक्री से	0.00	89.46
	0.00	1091.43
घटाये: उत्पाद शुल्क जी.एस.टी. एवं सेवा कर निर्मित सामानों एवं सेवाओं की बिक्री से शुद्ध राजस्व	0.00	122.96
	0.00	968.47
अन्य प्रचालन राजस्व :		
रद्दी के बिक्री से (सकल)	0.00	4.71
घटाये : उत्पाद कर/जी.एस.टी.	0.00	0.72
रद्दी की बिक्री (शुद्ध)	0.00	3.99
रद्दी भण्डार बढ़त/घटत	0.00	0.00
योग :	0.00	3.99
(19) अन्य आय :		
ब्याज से आय	268.40	10.42
आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों से वसूले गये क्षति भरपाई	0.00	25.44
अन्य गैर प्रचालन आय :		
दायिताएं अपलिखित	21.97	168.71
मूर्त सम्पत्तियों के एक मुश्त बिक्री से लाभ	539.81	0.00
तकनीक विक्रय	2800.00	0.00
विविध आय	814.26	118.27
अप्राप्य ऋण एवं अपलिखित के प्रावधान	0.00	3442.42
योग :	4444.44	3765.26
ब्याज आय के अन्तर्गत ब्याज :		
बैंक जमा से	268.40	10.42
अन्य	0.00	0.00

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

	समाप्ति वर्ष 31 मार्च 2023 के लिए	समाप्ति वर्ष 31 मार्च 2022 के लिए
(20) उपभोग किये गये सामानों का मूल्य :		
कच्चे माल का उपभोग	0.00	137.03
भण्डार एवं अतिरिक्त कलपुर्जों का उपयोग	0.00	2.39
योग :	0.00	139.42
(21) निर्मित तथा अर्धनिर्मित माल की सूचियों में बदलाव :		
उत्पादित तैयार माल (पी.सी.)	0.00	0.00
प्रारम्भिक शेष भण्डार	0.00	0.00
अन्तिम शेष भण्डार	0.00	0.00
उत्पादित तैयार माल (जी.सी.)		
प्रारम्भिक शेष भण्डार	34.00	34.00
अन्तिम शेष भण्डार	0.00	0.00
अर्धनिर्मित कार्य (पी.सी.)		
प्रारम्भिक शेष भण्डार	282.36	462.36
अन्तिम शेष भण्डार	0.00	282.36
अर्धनिर्मित कार्य (जी.सी.)		
प्रारम्भिक शेष भण्डार	95.66	95.66
अन्तिम शेष भण्डार	0.00	95.66
	412.02	180.00
निर्मित माल पर उत्पाद कर / जी.एस.टी. / बढ़त / घटत	0.00	0.00
योग :	412.02	180.00
(22) कर्मचारी लाभ व्यय :		
1. कर्मचारियों का पारिश्रमिक :		
(i) वेतन, मजदूरी एवं भत्ता	0.00	191.29
(ii) निधियों को योगदान :		
कर्मचारी भविष्य निधि एवं परिवार पेंशन	0.00	21.58
कर्मचारी राज्य बीमा	0.00	0.04
	0.00	212.91
2. कर्मचारियों का कल्याण :		
(I) कर्मचारी कल्याण व्यय	0.00	6.42
(ii) चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय	0.00	58.54
	0.00	64.96
3. सामाजिक उपरिव्यय :		
(i) जलपान गृह व्यय (शुद्ध)	0.00	4.35
(ii) छूट प्राप्त यातायात (शुद्ध)	0.00	19.25
	0.00	23.60
4. सेवा निवृत्ति लाभ :		
(i) उपदान	0.00	26.97
(ii) अवकाश नकदीकरण	0.00	39.92
योग :	0.00	368.36

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

(23) अन्य व्यय :

	समाप्ति वर्ष 31 मार्च 2023 के लिए		समाप्ति वर्ष 31 मार्च 2022 के लिए	
विद्युत	41.62		91.61	
ईंधन	0.00	41.62	0.00	91.61
मरम्मत एवं रख-रखाव :				
भवन	7.34		7.61	
संयंत्र एवं मशीनरी	0.00		0.60	
अन्य	0.17	7.51	1.05	9.26
किराया (शुद्ध)		0.00		0.02
दरों एवं करों का भुगतान		101.18		65.67
बीमा शुल्क		0.00		0.00
		0.00		6.69
लेखा परीक्षकों का भुगतान :				
लेखा परीक्षा शुल्क	0.95		0.95	
अन्य सेवाओं के शुल्क	0.35	1.30	0.35	1.30
छपाई एवं लेखन सामग्री		1.31		2.22
डाक टिकट एवं दूरभाष सेवायें		1.74		2.59
यात्रा एवं वाहन व्यय : घरेलू	2.06		2.66	
- विदेशी	0.00	2.06	0.00	2.66
बैंक प्रभार		2.24		3.02
प्रशिक्षण व्यय		0.00		0.00
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल पर व्यय		358.13		461.16
विनिमय दर परिवर्तन		0.00		0.00
विविध देनदार के अलावा बड़ा खाता		272.55		360.94
अन्य प्रशासनिक व्यय		177.47		109.91
मनोरंजन व्यय		0.43		0.09
एम.एस.टी.सी. को ई. निलामी कमीशन		56.97		0.00
विज्ञापन एवं प्रचार व्यय		0.00		0.00
अन्य विक्रय खर्च		0.00		3.33
योग :		1024.51		1120.47

(24) पूर्ववर्ती खर्च/असाधारण मद :

	समाप्ति वर्ष 31 मार्च 2023 के लिए		समाप्ति वर्ष 31 मार्च 2022 के लिए	
पूर्ववर्ती खर्च	62.72		0.00	
1997 वेतन पुरनिरीक्षण का बकाया		0.00		64.71
योग :		62.72		64.71

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

2.5. अतिरिक्त विनियामक सूचना :

1. कंपनी के पास ऐसी कोई अचल संपत्ति नहीं है जिसका शीर्षक विलेख कंपनी के नाम पर न हो।
2. वर्ष के दौरान, कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत परिभाषित एक पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा संयंत्र और उपकरणों और अन्य चल संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया गया है। इसके बाद सभी चल संपत्तियां एमएसटीसी के ई-पोर्टल पर नीलामी के माध्यम से बेच दी गई हैं, क्योंकि कंपनी पहले से ही बंद होने की प्रक्रिया में है और 31.03.2023 तक सभी चल संपत्तियों का मूल्य शून्य हो गया था।
3. कंपनी ने प्रमोटर्स, निदेशकों, के. एम. पी. और संबंधित पक्षों (कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित) को अलग से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है। भारत सरकार के आदेश पर कंपनी पहले ही बंद हो चुकी है।
4. पूंजी-कार्य-प्रगति (सी.डब्ल्यू.आई.पी.) 31.03.2023 को शून्य है।
5. विकासाधीन अमूर्त संपत्ति 31.03.2023 तक शून्य है।
6. कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है। तदनुसार, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ न तो कोई कार्यवाही शुरू की गई है और न ही लंबित है।
7. कंपनी ने 31.03.2023 तक मौजूदा परिसंपत्तियों के बंधक के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कोई उधार नहीं लिया है। भारत सरकार के आदेश पर कंपनी पहले ही बंद हो चुकी है।
8. कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।
9. कंपनी का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत हटाई गई कंपनियों के साथ कोई लेन-देन नहीं किया है और ऐसी कम्पनियों के साथ कोई संबंध भी नहीं है।
10. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आर.ओ.सी.) के पास भारो की संतुष्टि का कोई भी पंजीकरण वैधानिक अवधि से परे लंबित नहीं है।
11. कंपनी के पास कंपनियों की कोई परत (लेयर्स) नहीं है और तदनुसार कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के तहत निर्धारित परतों की संख्या का अनुपालन न करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।
12. अनुपात की गणना के संबंध में ड(ए) चालू अनुपात, (बी) ऋण-इक्विटी अनुपात, (सी) ऋण सेवा कवरेज अनुपात, (डी) इक्विटी अनुपात पर रिटर्न, (ई) इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात, (एफ) व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात, (जी) व्यापार देय टर्नओवर अनुपात, (एच) शुद्ध पूंजी टर्नओवर अनुपात, (I) शुद्ध लाभ अनुपात, (जे) नियोजित पूंजी पर रिटर्न, (के) निवेश पर रिटर्न). यह उल्लेख किया गया है कि कंपनी का संचालन पिछले वर्ष के दौरान पहले ही बंद हो चुका है और सभी चल संपत्तियों की शेष राशि 31.03.2023 तक शून्य है अतः गणना के परिणाम या तो असामान्य होंगे या अनुपलब्धता के कारण गणना करना संभव नहीं होगा। गणना के लिए संगत आंकड़ों के अभाव के कारण तदनुसार कोई गणना नहीं की गई है।
13. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के संदर्भ में व्यवस्था की कोई अनुमोदित योजना नहीं है, इसलिए किसी भी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।
14. कंपनी को वर्ष 2022-23 के दौरान कोई उधार ली गई धनराशि और शेयर प्रीमियम प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार उपयोग विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

2.6. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1.1 वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

यह वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार लेखांकन सिद्धान्तों तथा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के साथ नियम 7 में वर्णित 2014 में लागू किये गये लेखा मानकों के अनुरूप बनाया गया है। साथ ही साथ इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट ऑफ इंडिया द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों को जहाँ सम्भव हो अनवरत रूप से अपनाया गया है।

1.2 अनुमान का उपयोग

वित्तीय विवरण बनाते समय, स्वीकार करने योग्य लेखांकन नीतियों तथा प्रचलित अनुमानों एवं मान्यताओं तथा लेखांकन मानकों को ध्यान में रखा जाता है जिससे सम्बन्धित काल के दौरान कुल आय एवं व्यय की धनराशि सम्पत्ति एवं दायित्वों तथा संदिग्ध दायित्वों का वित्तीय विवरण के तिथि पर स्पष्ट आकलन हो सके। अनुमानित आकलन एवं वास्तविक निष्पादन के अन्तर यदि कोई होते हैं तो उनको उसी वर्ष में मान लिया जाता है जिसमें वह परिपक्व होता है।

2.0 स्थायी परिसम्पत्तियाँ

- 2.1 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कम्पनी को उपलब्ध करायी गई भूमि का मूल्यांकन तत्कालीन भूमि-अधिग्रहण अधिकारी, इलाहाबाद कार्यालय के अभिलिखित प्रारम्भिक मूल्यांकन के अनुसार किया गया है। इस धनराशि को कम्पनी की आरक्षित पूंजी लेखा में यथावत दर्शाया गया है।
- 2.2 कम्पनी की स्थायी परिसम्पत्तियों को लागत व्यय पर मूल्यांकित किया जाता है, जिसमें उनके निर्माण अवधि के अन्तर्गत व्यय को आवंटन की तिथि से ही इस लेखा में शामिल माना जाता है।
- 2.3 अन्तर-परियोजना स्थानान्तरण द्वारा प्राप्त पूंजीगत सामानों का मूल्यांकन कारखाने में उनकी लागत व्यय पर किया जाता है, जिसमें उनका उत्पादन शुल्क भी सम्मिलित रहता है।
- 2.4 यदि परिसम्पत्तियों का उपयोग शुरू किया जाता है तथा सम्बन्धित ठेकेदार के बिलों का निस्तारण होना रहता है तो ऐसी दशा में पूंजीकरण सर्जित कर दिया जाता है कि आवश्यक समायोजन निस्तारण वर्ष में कर दिया जायेगा।
- 2.5 निर्धारित परिसम्पत्तियों की लागत व्यय की नियमित पूंजी के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली समस्त अनुदान राशि एवं सेनवैट/आई.टी.सी. क्रेडिट से तत्संबन्धित परिसम्पत्तियों के कुल लागत व्यय से घटाया जाता है।
- 2.6 बाद में किये गये खर्च सम्पत्तियों के मूल्य में तभी जोड़े जाते हैं जब सम्पत्ति के जीवन काल में पूर्व अनुमाति आयु से ज्यादा वृद्धि होती है।

- 2.7 जो सम्पत्तियाँ उपयोग के लिए तैयार नहीं हो पाती हैं उनके प्रगतिशील पूंजीगत के तौर पर रखा जाता है।

3.0 अवमूल्यन :

- 3.1 कम्पनी के स्थायी सम्पत्तियों पर ह्रास एस.एल.एम. आधार एवं सम्पत्ति के जीवनकाल के आधार पर कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसूची -II में वर्णित दरों के अनुसार किया जाता है। लेकिन यदि किसी सम्पत्ति के ऐतिहासिक मूल्यों में परिवर्तन होता है तो ह्रास पुननिर्धारित अवशेष मूल्य पर उसके बढ़े हुए/बचे हुए/अवशिष्ट जीवन काल के आधार पर किया जाता है।
- 3.2 वर्ष के दौरान अभिवृद्धि/विक्रय की गयी परिसम्पत्तियों पर ह्रास प्रो-राटा आधार पर उनके अभिवृद्धि/विक्रय की तिथि से किया जाता है।
- 3.3 ₹ 5000 से कम मूल्य की सभी परिसम्पत्तियों को क्रय किये जाने वाले वर्ष में राजस्व खर्चों के रूप में अपलिखित कर दिया जाता है।

4.0 विदेशी मुद्रा

- 4.1 सौदों जिनका ब्यौरा विदेशी मुद्रा में होता है उनका लेखांकन प्रचलित विनिमय दर के आधार पर होता है।
- 4.2 वर्ष के अन्त में रिपोर्टिंग तिथि पर सभी पर मौद्रिक सौदा का ब्यौरा विनिमय दर द्वारा प्रवर्तित करके दिखाया जाता है।
- 4.3 विदेश से मँगायी गयी परिसम्पत्तियों से सम्बन्धित विदेशी विनिमय के अन्तर को सम्पत्ति के निहित लागत में/सम्पत्ति प्रगति पर होने के पूर्व समायोजित कर दिया जाता है। अन्य विनिमय दरों के अन्तरों को पहचाने गये वर्ष के आय या व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

5.0 सम्पत्ति की हानियाँ

किसी सम्पत्ति की हानि तब कहा जाता है जब सम्पत्ति का निहित मूल्य वास्तविक प्राप्य मूल्य से कम होता है। इस तरह की हानि को लाभ हानि खाते में उसी वर्ष लिख लिया जाता है जिस वर्ष यह कमी ज्ञात होती है। पिछले वर्षों में लेखांकन की गयी हानियों को वापस लाया जा सकता है यदि सम्पत्ति के प्राप्य मूल्य में बढोत्तरी का अनुमान आगे के वर्षों में हो जाय।

6.0 सामग्रियों का मूल्यांकन :

- 6.1 कच्ची सामग्री, भण्डारों तथा अतिरिक्त कलपुर्जों का मूल्यांकन समय-समय पर उनकी आवधिक माप तौल की भारत औसत लागत विधि से किया जाता है।
- 6.2 प्रेषण एवं आवक में निरीक्षण के अन्तर्गत कच्चे माल एवं कलपुर्जों और निर्माताओं एवं ठेकेदारों के पास पड़े सामानों का मूल्यांकन लागत आधार पर किया जाता है।

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

- 6.3 कम्पनी द्वारा कम से कम ₹ 500 (पाँच सौ रुपये) मूल्य तक के या उससे अधिक मूल्य के खुले औजारों का अवमूल्यन 20 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से किया जाता है और पाँच सौ रुपये तक की औजारों के अवमूल्यन को सीधे राजस्व में अपलिखित किया जाता है।
- 6.4 कम्पनी द्वारा निर्मित सामानों के अर्धनिर्मित माल का मूल्यांकन उनके समाहित लागत या उगाही मूल्य में, जो भी कम हो, के आधार पर किया जाता है। पूँजी कार्य हेतु आन्तरिक रूप में तैयार किये गये सामानों और माल को कारखाने के लागत व्यय पर मूल्यांकित किया जाता है।
- 6.5 उत्पादित तैयार सामानों का मूल्यांकन यहां समाहित लागत या उगाही मूल्य में, जो भी कम हो, के आधार पर किया जाता है। तैयार सामानों का उत्पादन स्टॉक में प्राप्त आदेशों के आधार पर किया जाता है, उनका मूल्यांकन भी समाहित लागत के आधार पर किया जाता है। तैयार सामानों के मूल्यांकन में उत्पाद शुल्क भी शामिल है।
- 6.6 रद्दी सामग्री का मूल्यांकन उनके अनुमानित प्राप्य योग्य मूल्य के आधार पर किया जाता है।
- 6.7 चिन्हित बेकार/अतिरिक्त/स्थिर सामग्री के लिए आवश्यक प्रावधान, तकनीकी निर्धारणों के आधार पर किया जाता है ताकि उनकी वर्तमान स्थिति प्रदर्शित हो।

7.0 आय की मान्यता

आय की मान्यता तब की जाती है जब स्वामित्व से सम्बन्धित जोखिम एवं पुरस्कार का हस्तान्तरण हो जाता है। परिचालन से आय में माल एवं सेवाओं का विक्रय, उत्पाद कर, सेवाकर एवं जी.एस.टी. शामिल रहता है। ब्याज के आय की मान्यता समय के अनुपात में तथा प्रचलित दर के आधार पर, अदेय राशि पर गणना करके की जाती है।

8.0 दावे :

8.1 कम्पनी द्वारा :

विक्रय निविदाओं, निर्यात प्रोत्साहनों तथा विविध अन्य प्रकार के प्रोत्साहनों इत्यादि के मूल्य वृद्धि के दावों के निपटानों को कम्पनी द्वारा प्राप्त व्ययता के आधार पर सुनिश्चित किया जाता है, किन्तु आपूर्ति-कर्ताओं द्वारा कम्पनी को मिश्रित क्षति के दावे के रूप में अथवा अर्थदण्ड स्वरूप प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण धनराशियों को उनके प्राप्त होने वाले वर्ष की आय माना जाता है।

8.2 कम्पनी के विरुद्ध दावे :

8.2.1 उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं आयकर, विक्रय कर इत्यादि से सम्बन्धित लम्बित मसलों के अन्तिम लेखा को उनके किये गये निर्धारण अभिनिश्चय/देनदारी के वर्षों में प्रावधान किया गया।

8.2.2 कम्पनी द्वारा आकस्मिक दायिताओं को लाभ-हानि लेखा विवरण में उनके आंकलन और देय भुगतान वर्षों के अनुसार मूल्यांकित किया जाता है।

9.0 शोध एवं विकास व्यय :

शोध एवं विकास व्यय को लाभ-हानि लेखा विवरण में होने वाले वास्तविक वर्ष के अन्तर्गत ही चार्ज किया जाता है यद्यपि शोध एवं विकास के अन्तर्गत परिसम्पत्तियों पर किये गये व्यय को अन्य स्थायी सम्पत्तियों के व्ययों के समान ही माना जाता है।

10.0 विदेशी विनिमय :

विदेशी मुद्रा में ऋण या आस्थगित भुगतानों का दायित्व विनिमय की उसी दर पर आधारित होता है जो इस दायित्व के प्रस्तुत करने वाले वर्ष की अन्तिम तिथि को प्रभावी होती है। परिणाम स्वरूप किसी भी लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखा में चार्ज कर लिया जाता है।

11.0 प्रावधान :

11.1 सेवोपहार :

सेवोपहार की धनराशि को नियमानुसार वास्तविक मूल्यांकन के अनुकूल प्राविधानित किया जाता है तथा वर्ष के अन्त में लेखा में उसे मूल्यांकन के आधार पर समाहित किया जाता है।

11.2 अवकाश नकदीकरण :

अवकाश नकदीकरण की धनराशि को नियमानुसार वास्तविक मूल्यांकन के अनुकूल प्राविधानित किया जाता है तथा वर्ष के अन्त में विमाकिक के मूल्यांकन के आधार पर समाहित किया जाता है।

12.0 आय पर कर :

12.1 आयकर का निर्धारण आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

12.2 दूरदर्शिता को ध्यान में रखने की शर्त पर, समयान्तर होने से, कर योग्य आय एवं लेखाकरण आय के मध्य अन्तर होने से जो कि एक अवधि में प्रारम्भ होती है एवं एक निश्चित अवधि से ज्यादा परिवर्ती अवधि में विपरीत हो सकती है, स्थागित कर मान्य है।

13.0 सरकारी अनुदान :

सरकारी अनुदान का लेखांकन तभी किया जाता है जब उन्हें प्राप्त होने की निश्चितता हो। स्थायी सम्पत्तियों के विरुद्ध प्राप्त अनुदान का निस्तारण लेखांकन नीति सं. 2.5 के आधार पर किया जाता है। व्ययों/हानियों की प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त, आयगत अनुदानों की प्राप्ति की लागत एवं आय के सिद्धान्त से सम्बन्धित अवधि के अनुरूप आय माना जाता है।

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

27. सम्बन्धित पार्टियों की जानकारियाँ :

लेखांकन मानक 18 में वर्णित सम्बन्धित पार्टियों की जानकारी के अनुपालन में उनके साथ सम्बन्धित कार्य का ब्योरा निम्नलिखित है :

(अ) मेसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बी0एच0ई0एल0) :

मेसर्स बी0एच0ई0एल0 ने सरकार के निर्णय के अनुरूप प्रबन्धकीय सहयोग, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को प्रदान करते हुए किया है। इसके अतिरिक्त बी0एच0ई0एल0 ने बी0पी0सी0 बोर्ड को एक अंशकालिक निदेशक भी प्रदान किया है।

(ब) मेसर्स ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ0एन0जी0सी0) :

मेसर्स ओ0एन0जी0सी0 ने बी0पी0सी0एल0 बोर्ड को एक अंशकालिक निदेशक प्रदान किया है।

(स) मेसर्स इन्जिनियर्स इण्डिया लिमिटेड (ई0आई0एल0) :

मेसर्स इन्जिनियर्स इण्डिया लिमिटेड ने बी0पी0सी0एल0 बोर्ड को एक अंशकालिक निदेशक प्रदान किया है।

साथी सहायक/सहयोगी कम्पनियाँ :

कम्पनी ने अपनी सहायक/सहयोगी कम्पनियों के साथ निम्नलिखित लेन-देन किया है :

	2022-23			2021-22		
	बी.एच.ई.एल.ओ.एन.जी.सी. ई.आई.एल			बी.एच.ई.एल.ओ.एन.जी.सी. ई.आई.एल		
अ. खरीदा गया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ब. बेचा गया	0.00	0.00	0.00	0.00	250.51	0.00
स. राशि वसूली होनी है	0.00	0.00	0.00	0.00	511.48	0.00
द. राशि अदा करना है	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
य. लिया गया ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
र. अदा किया गया ऋण	0.00	0.00	0.00	1200.00	0.00	0.00
ल. बकाया ऋण एवं ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(₹ लाख में)

Notes to the financial statements

28. खण्डवार सूचनायें :

प्राथमिक खण्ड - व्यावसायिक खण्ड

(₹ लाख में)

	31.03.2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए				31.03.2022 समाप्त हुए वर्ष के लिए			
	पम्पस्	कम्प्रेसर्स	गैस सिलिण्डर्स	योग	पम्पस्	कम्प्रेसर्स	गैस सिलिण्डर्स	योग
अ. खण्ड राजस्व								
(i) खण्ड राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	850.27	241.16	0.00	1091.43
(ii) अन्तरभागीय राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii) बाहरी राजस्व परिचालन (i-ii)	0.00	0.00	0.00	0.00	850.27	241.16	0.00	1091.43
ब. खण्डवार परिणाम								
(i) खण्डवार परिणाम	0.00	0.00	0.00	2952.30	(3213.68)	(1287.05)	(193.31)	(4694.04)
(ii) अनिर्धारित व्यय (शुद्ध)	0.00	0.00	0.00	(257.81)	0.00	0.00	0.00	(459.32)
(iii) आयकर/एफ.बी.टी./एम.ए.टी./अस्थगित कर	0.00	0.00	0.00	2694.49	0.00	0.00	0.00	(5153.36)
(vi) कर पश्चात लाभ	0.00	0.00	0.00	(4037.46)	0.00	0.00	0.00	(215.62)
	0.00	0.00	0.00	(1342.97)	0.00	0.00	0.00	(5368.98)
स. सम्पत्ति एवं दायित्सव								
(i) खण्ड सम्पत्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	5896.53	2039.68	571.18	8507.39
(ii) अनिर्धारित सम्पत्तियाँ	0.00	0.00	0.00	7602.72	0.00	0.00	0.00	1340.86
(iii) कुल सम्पत्ति	0.00	0.00	0.00	7602.72	0.00	0.00	0.00	9848.25
(iv) खण्डवार दायित्वायें	0.00	0.00	0.00	0.00	13553.99	4832.45	0.00	18386.44
(v) अनिर्धारित दायित्वायें	0.00	0.00	0.00	7602.72	0.00	0.00	0.00	(8538.19)
(vi) कुल दायित्वायें	0.00	0.00	0.00	7602.72	0.00	0.00	0.00	9848.25
द. अन्य सूचनायें								
(i) अचल सम्पत्ति अर्जित होने के समय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
क्रिया गया खर्च (पूँजी कार्य प्रगति सहित)	40.90	14.58	13.26	68.74	266.78	95.10	86.51	448.39
(ii) अवमूल्यन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii) नकद रहित खर्च (अवमूल्यन के अलावा)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

2.9. वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त टिप्पणियाँ:

(i) वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार :

वित्तीय वर्ष 2019-20 तक, वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर चलायमान अवधारणा को लागू करते हुए और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जी ए पी पी) के अनुसार तैयार किए गए थे, जिसमें कंपनियों के नियम 7 के साथ पठित धारा 133 के (लेखा) नियम, 2014, और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य प्रासंगिक प्रावधान के तहत अधिसूचित लेखांकन मानक भी शामिल थे। इसके अलावा भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आई.सी.ए.आई.) द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट्स/घोषणाओं, जहां भी लागू हो, पर भी विचार किया गया, जैसा कि कंपनी द्वारा लगातार अपनाया गया था लेकिन वर्ष 2020-21 के बाद से, वित्तीय विवरण चलायमान अवधारणा को लागू करने में कुछ विचलन के साथ तैयार किया जा रहा है क्योंकि भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 17.12.2020 के पत्र के माध्यम से कंपनी के संचालन को बंद करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय की सूचना दी थी।

(ii) भारत सरकार के निर्णय के आलोक में जा कि दिनांक 17.12.2020 के तहत कंपनी को बंद करने के संबंध में था, निम्नलिखित अनुमोदित बिंदुओं पर आवश्यक लेखांकन/प्रकटीकरण/भुगतान किया है:-

- ए- कंपनी के प्लॉट का संचालन बंद कर कंपनी को बंद कर दिया गया।
- बी- सभी बकाया देयों के भुगतान के बाद वीआरएस/वीएसएस के माध्यम से बंद होने के कारण अधिशेष हुए कर्मचारियों को अलग करना।
- सी- चूंकि जमीन यूपी सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई थी, यह प्रस्तावित है कि भवन एवं संयंत्र की स्थायी संरचना सहित भूमि उत्तर प्रदेश सरकार को बिना किसी मूल्य के सौंपी जायेगी।
- डी- भारत सरकार द्वारा 316.09 करोड़ रुपये का एकमुश्त अनुदान प्रदान करना। कंपनी को प्राप्त धन का उपयोग विशेष रूप से कर्मचारियों के लिए वीआरएस/वीएसएस के कार्यान्वयन, उनके बकाया वेतन और वैधानिक बकाया का भुगतान, पहले के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सभी बकाया सहित, 1997 के वेतन संशोधन बकाया, आपूर्तिकर्ताओं के बकाया का भुगतान सहित समापन संबंधी खर्चों के लिए किया जाएगा। टेकेदार, एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक के कार्यशील पूंजी ऋण का पुनर्भुगतान, ब्याज सहित बीएचईएल ऋण का भुगतान, सीआईएसएफ, आयकर और बिक्री कर आदि से संबंधित लंबित अपील का भुगतान भी किया जाएगा।
- इ- भारत सरकार के ऋण और अर्जित ब्याज, बिक्री से कंपनी द्वारा चुकाई जाने वाली राशि को छोड़कर, बट्टे खाते में डालना। भारत सरकार का ऋण और अर्जित ब्याज 31.03.2020 तक राशि ब्याज सहित 164.29 करोड़ रुपये (31.03.2020 तक ब्याज पर रोक के साथ) था। उपरोक्त ऋण कंपनी द्वारा सरकार को चुकाया जाएगा। ग्राहकों से प्राप्त राशि, कंपनी की अन्य परिसंपत्तियों की

बिक्री आय और कंपनी के बंद होने से संबंधित सभी देनदारियों को निपटाने के बाद यदि संपत्ति की बिक्री से प्राप्त बची आय ऋण राशि को पूरी तरह से चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो भुगतान ना की गयी शेष ऋण राशि को बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा।

एफ- कंपनी द्वारा संयंत्र/मशीनरी और चल संपत्तियों का निपटान एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा ई-नीलामी के माध्यम से किया जाएगा। एमएसटीसी की नियुक्ति की शर्तें डीपीई/सरकार के दिशानिर्देश के अनुसार होंगी।

तदनुसार, सभी चल संपत्तियों की बिक्री और स्थायी संरचना के साथ भूमि को यूपी सरकार को सौंपने सहित अधिकांश समापन गतिविधियाँ वर्ष के दौरान पूरा हो चुकी हैं और मुंबई स्थित आवासीय फ्लैटों को छोड़कर सभी चल और अचल अचल संपत्तियों का मूल्य शून्य हो गया है।

- (iii) उत्तर प्रदेश सरकार ने 300 एकड़ भूमि के वास्तविक आवंटन के मुकाबले 295.45 एकड़ भूमि निःशुल्क दी थी। 295.45 एकड़ भूमि के संबंध में हस्तांतरण विलेख निष्पादित नहीं किया गया था और मामला 2019-20 तक पत्राचार के अधीन था। हालांकि, केंद्र सरकार द्वारा कंपनी को बंद करने के कारण, पत्र दिनांक 17.12.2020 द्वारा सूचित किया गया कि यह निर्णय लिया गया कि भवन और संयंत्र की स्थायी संरचना के साथ भूमि यूपी सरकार को बिना किसी मूल्य के सौंप दी जाएगी। तदनुसार, वर्ष के दौरान, कंपनी ने सभी चल संपत्तियों की बिक्री और उठान के बाद भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड की भूमि और स्थायी संरचना यूपी सरकार को 28.02.2023 को (ज्ञापन संदर्भ संख्या 959/एसआईडीए/एसआर.एम. (सी)/सीडी-9/प्रयागराज दिनांक 28.02.2023) सौंप दिया है।
- (iv) भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 17.12.2020 के माध्यम से सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण पर 31.03.2020 के बाद ब्याज लगाना रोक दिया है। तदनुसार, वर्ष 2022-23 के दौरान (रु. 2011.35 लाख) और पिछले वर्ष 2021-22 (रु. 1939.62 लाख) सरकारी ऋण पर कोई ब्याज प्रावधान नहीं किया गया है।
- (v) चूंकि कंपनी के सभी कर्मचारियों को 12.06.2021 तक वीआरएस/वीएसएस के माध्यम से पहले ही मुक्त किया जा चुका है, इसलिए ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण के खिलाफ कोई और प्रावधान नहीं किया गया है। 31.03.2023 को ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण की राशि वास्तविक गणना के आधार पर किया गया है। इस मद में दर्शायी गयी राशि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की अवैतनिक राशि से संबंधित है जिसे वर्तमान देनदारियों के तहत अलग से रखा गया है। ऐसे में बीमांकिक मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं है।
- (vi) 31.03.2023 को वर्तमान देनदारियों के उपशीर्षक 'अन्य' के अंतर्गत पड़े आंकड़ों को वर्ष के दौरान पुनः समूहीकृत किया गया है। तदनुसार, कुल देनदारियों में रु. 1425.51 लाख सेवानिवृत्त और वीआरएस विकल्प वाले कार्यकारी कर्मचारियों के देय से रोकी गई / कटौती की गई राशि से संबंधित और रु 27.98 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों से संबंधित हैं, जहां या तो नामांकित

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

व्यक्ति में विवाद है या देय राशि का दावा करने के लिए कर्मचारियों का पता नहीं चल पा रहा है।

- (vii) वर्ष के दौरान कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है। कुल अनुदान राशि रु. पिछले वर्ष तक प्राप्त 26077.00 लाख रुपये का वर्ष के दौरान पूर्ण उपयोग किया गया है।
- (viii) केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने अपनी सेवाओं के लिए बिल जारी किए हैं, जिसमें गैर/विलंबित भुगतान के कारण 1413.33 लाख (पिछले वर्ष 1412.31 लाख) की ब्याज देनदारी शामिल है। सीआईएसएफ एक केंद्र सरकार की एजेंसी है और पहले भी बिना ब्याज के देरी से भुगतान स्वीकार करती रही है। तदनुसार, ब्याज राशि का वर्तमान दावा आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया गया है। ब्याज माफी के लिए कंपनी/एमएचआई पहले ही सीआईएसएफ अधिकारियों/संबंधित मंत्रालय से संपर्क कर चुकी है।
- (ix) कंपनी के पास सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ के लिए कोई योजना नहीं है।
- (x) वर्ष के दौरान, कंपनी की सभी संपत्तियां पहले ही बिक चुकी हैं, इसलिए Aए28 - संपत्तियों की क्षति के अनुपालन में मूल्य के मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, सभी परिसंपत्तियों के परिणामी बिक्री मूल्य का हिसाब पहले ही लगाया जा चुका है और सभी चल संपत्तियां शून्य हो गई हैं।
- (xi) 31 मार्च, 2023 तक सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय 45 दिनों से अधिक के निर्विवाद बकाया के संबंध में, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संबंध में कोई बकाया राशि नहीं है।
- (xii) विविध देनदारों की राशि 31.03.2023 को 0.00 लाख रुपये (पिछले वर्ष 265.39 लाख रुपये)। वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी ने 171.37 लाख रुपये (पिछले वर्ष 7099.99 लाख रुपये) राइट-ऑफ कर दिए हैं। पहले कंपनी इन राशियों की वसूली के लिए काफी आशान्वित थी, जो मुख्य रूप से सयंत्रों को स्थापित करने में चूक /कम आपूर्ति/शेष भुगतान आदि के लिए कटौती की गई थी और तदनुसार, इन कटौतियों को खातों की पुस्तकों में शामिल नहीं किया गया है। हालाँकि, दिनांक 17.12.2020 के पत्र के माध्यम से सूचित केंद्र सरकार द्वारा कंपनी को बंद करने के निर्णय के आलोक में, लंबित व्यापार प्राप्तियों के संग्रह के लिए उचित प्रयास करने के बाद राइट-ऑफ का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में, कंपनी ने भुगतान जारी करने के लिए विभिन्न ग्राहकों से कई अनुरोध किए, लेकिन कंपनी के बंद होने के वर्तमान परिदृश्य में, ग्राहकों ने बीपीसीएल का पक्ष लेने में अनिच्छा दिखाई क्योंकि भविष्य में कोई व्यावसायिक संबंध नहीं होगा और एलडी के मद में अधिकांश कटौतियां की गई थी जोकि एस.ओ. (बिक्री आदेश) शर्तों के अनुसार था।

- (xiii) वर्ष के दौरान, कंपनी ने आयकर विभाग की पुरानी विवादित मांग का भुगतान किया है। वर्ष 2007-08 में 425307620/- रुपये की राशि मुख्य रूप से गैर-योजना सरकारी ऋण के वित्तीय वर्ष में 2006-07 में बट्टे खाते में डालने के कारण उत्पन्न हुई थी। इनकम टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल में कंपनी की अपील खारिज होने के बाद यह मांग उठाई गई थी। इस संबंध में कंपनी ने शुद्ध रूप से रु. 319236720/- का भुगतान खातों की पुस्तकों में दर्ज विभिन्न वर्षों की रिफंड राशि के समायोजन के बाद किया है। चूंकि आयकर के भुगतान को व्यय के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है, इसलिए इसे लाभ और हानि खाते में पंक्ति के नीचे दिखाया गया है।
- (xiv) (ए) वर्ष के दौरान, सभी इन्वेंट्री एमएसटीसी के माध्यम से अधिशेष / स्क्रैप के रूप में बेची गई हैं और आवश्यक लेखांकन किया गया है। 31.03.2023 को इन्वेंट्री का मूल्य शून्य है। (बी) कंपनी को बंद करने के निर्णय पर विचार करते हुए, सभी दीर्घकालिक देनदारियां और दीर्घकालिक परिसंपत्तियों को अल्पकालिक देनदारी और संपत्ति माना गया है।
- (xv) कंपनी के व्यवसाय संचालन पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव का आकलन नहीं किया गया क्योंकि भारत सरकार द्वारा कंपनी को बंद करने के निर्णय के अनुपालन में कंपनी का संचालन पिछले वर्ष पहले ही बंद हो चुका है।
- (xvi) पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो, उचित समझ हेतु चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के साथ पुनः समूहीकृत / पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

(₹ in Lacs)

29. वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ

(xvii) आकस्मिक देयतायें एवं वचनबद्धता :

(अ) कम्पनी पर दावे जो ऋण नहीं समझे गए :

	जैसा कि 31.3.2023 को था	जैसा कि 31.3.2022 को था
(1) दीवानी मुकदमों के सम्बन्ध में	60.53	39.66
(2) सी.आइ.एस.एफ. द्वारा मांगे गये ब्याज की दायितायें	1413.33	1412.31
(3) कस्टम ड्यूटी देयतायें (विवादित)	0.00	51.00
(4) विचाराधीन आयकर देयतायें *	0.00	3052.46

(ब) वचनबद्धतायें :

पूंजी व्यय में आपूर्ति के लिये शेष बचे क्रय आदेश करारों की अनुमानित राशि

	0.00	3052.46
--	------	---------

* ब्याज दायित्तवों को छोड़कर

(xviii) सामाजिक कार्यों पर किया गया व्यय :

कुल व्यय
घटायें : कुलआय
वास्तविक व्यय

	2022-23		2021-22	
	कैन्टीन	परिवहन	कैन्टीन	परिवहन
कुल व्यय	0.00	0.00	4.40	19.35
घटायें : कुलआय	0.00	0.00	0.05	0.1
वास्तविक व्यय	0.00	0.00	4.35	19.25

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

29. वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ

(xix) लेखा मानक-29 के अनुसार प्रावधानों का विवरण :

(₹ लाख में)

क्रम	प्रावधानों का विवरण	01.04.2022 का प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	वर्ष के दौरान भुगतान/समायोजन	वर्ष के दौरान रिवर्स किया गया	31.03.2023 को शेष
1	सेवोपहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	अवकाश नगदीकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	पिछले वर्ष	1944.86	66.89	1944.86	66.89	0.00

संक्षिप्त विवरण :

सेवोपहार एवं छुट्टी नगदीकरण : सोद्देश्य प्राप्त होने वाले सेवोपहार एवं अवकाश नगदीकरण हेतु प्रावधान वर्ष 2019-20 तक बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर बनाये गये थे। वर्ष 2020-21 से इसके भुगतान की कोई अनिश्चिता नहीं है। सेवोपहार एवं अवकाश नगदीकरण का प्रावधान वास्तविक गणना के आधार पर किया गया जो कि कम्पनी के बन्द करने के निर्णय पर आधारित है।

29. वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ

(xx) आयातित सामानों का सी.आई.एफ मूल्य :

कच्ची सामग्री एवं संयंत्रिय पुर्जे

(xxi) विदेशी मुद्रा में किया गया व्यय

(नगद आधार पर)

समानान्तर अध्ययन हेतु

(xxii) निर्यात का एफ.ओ.बी. मूल्य:

1. सामानों का निर्यात

(xxiii) आयातित एवं स्वदेशी सामग्रियों का उपभोग :

(अ) उपभोग में लायी गई सम्पूर्ण आयातित कच्ची सामग्रियों, कलपुर्जों एवं विभिन्न अवयवों के भण्डारों तथा अतिरिक्त कलपुर्जों का सम्मिलित मूल्य

(ब) उपभोग में लायी गयी सम्पूर्ण स्वदेशी कच्ची सामग्रियों, कलपुर्जों एवं विभिन्न अवयवों के भण्डारों तथा अतिरिक्त कलपुर्जों का सम्मिलित मूल्य

(स) उपभोग में लायी गई समस्त सामग्रियों से प्रतिशत

2022-2023

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2021-2022

0.00

0.00

0.00

6.60

132.82

5% एवं 95%

उप-टिप्पणी: सामग्री के उपभोग में अतिरिक्त कलपुर्जों के अतिरिक्त विवरणों के अनुलब्धता के कारण कलपुर्जों और भण्डारों में पदार्थों की सम्मिलित एवं संयुक्त संख्याएँ ही प्रदर्शित की गई हैं।

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

29. वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ

(xxiv) विक्रय (सकल)

	2022-2023		2021-2022	
	मात्रा (नग में)	मूल्य (₹ लाख में)	मात्रा (नग में)	मूल्य (₹ लाख में)
अ कम्प्रेसर्स	00 नग+पुर्जे	0.00	00 नग+पुर्जे	283.42
ब पम्पस्				
1. रेसीप्रोकेटिंग पम्पस्	00 नग+पुर्जे	0.00	04 नग+पुर्जे	267.47
2 सन्ट्रीफ्यूगल पम्पस्	00 नग+पुर्जे	0.00	00 नग+पुर्जे	451.08
स गैस सिलिण्डर्स	00 नग	0.00	00 नग	0.00
द स्थापना और अन्य कार्य	-	0.00	-	89.46
योग :		0.00		1091.43

(xxv) उपयोग की गई समस्त प्रकार की कच्ची सामग्रियों और संयंत्रीय कलपुर्जों का पृथक-पृथक विवरण:

	2022-2023		2021-2022	
	मात्रा (टन में)	मूल्य (₹ लाख में)	मात्रा (टन में)	मूल्य (₹ लाख में)
अ स्वदेशी :				
1. स्टील प्लेट्स	-	0.00	-	0.00
2. पम्पस् तथा कम्प्रेसर्स हेतु बाहर से क्रय की गई सामग्री	-	0.00	-	55.68
3. अन्य विविध सामग्रियाँ	-	0.00	-	74.79
योग:		0.00		130.47
ब आयातित				
1. पम्पस् तथा कम्प्रेसर्स हेतु अवयव*	-	0.00	-	6.56
2. अन्य विविध वस्तु*	-	0.00	-	0.00
योग:		0.00		6.56
* कुल कच्चे माल तथा अवयव का उपभोग		0.00		137.03

हजारों अभिधानों एवं मूल्यों का विभिन्नता के कारण प्रत्येक अलग-अलग विवरण देना संभव नहीं है।

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ


29. वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ (xxvi) उत्पादित सामानों का भण्डार :

	2022-23		2021-22	
	अन्तिम शेष भण्डार मात्रा (नगों में)	मूल्य (₹ लाख में)	आरम्भिक भण्डार मात्रा (नगों में)	मूल्य (₹ लाख में)
अ. पम्पस् :				
1. सेन्ट्रीफ्यूगल	00 नग (00 नग)	0.00 (0.00)	00 नग (00 नग)	0.00 (0.00)
2. रेसीप्रोकेटिंग	00 नग (00 नग)	0.00 (0.00)	00 नग (00 नग)	0.00 (0.00)
ब. कम्प्रेसर्स				
1. रेसीप्रोकेटिंग	00 नग (00 नग)	0.00 (0.00)	00 नग (00 नग)	0.00 (0.00)
स. सिलिण्डर्स विविध प्रारूपों के	00 नग (400 नग)	0.00 (34.00)	400 नग (400 नग)	34.00 (34.00)

उप-टिप्पणी : कोष्ठक में दी गई मात्रा एवं मूल्य विगत वर्ष के आंकड़ों को दर्शाता है।

हमारे सम दिनांक प्रतिवेदन के संदर्भित है।

कृते एस.आर. गुप्ता एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार



(वी.के. गुप्ता)

साड़ीदार


(सदस्य सं० 014745)

UDIN : 23014745BGW00T1087



(इन्द्रसेन सिंह)


मुख्य वित्त अधिकारी
तथा कम्पनी सचिव



(ए. के. दीवान)

निदेशक

DIN : 10170576



(के.एस. मूर्ति)

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

DIN : 09184201

स्थान : इलाहाबाद

दिनांक : 31.05.2023

दस वार्षीय सिंहावलोकन

(₹ लाख में)

क्रमांक	विवरण	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
1	उत्पादन का मूल्य	0.00	968.47	4097.88	6370.40	5456.05	7628.01	7601.12	6967.47	7769.00	15012.60
2	विक्रय	0.00	1091.43	4540.05	6572.48	6866.29	7712.20	7490.94	7851.94	10223.49	14705.80
3	कुल लाभ/(हानि)/(पी.बी.डी.आई.टी.)	2849.25	2929.47	(1041.34)	1126.15	(394.63)	(1129.33)	(4152.48)	(4696.03)	(3471.56)	(583.90)
4	अवमूल्यम/डी.आर.ई.	68.74	448.39	453.83	464.28	465.09	478.45	506.04	514.96	704.95	485.20
5	व्याज	10.59	469.74	1312.33	2639.44	2675.12	2639.44	1805.25	789.48	599.53	498.70
6	(अ) वर्तमान संचालन पर कर के पूर्व लाभ/(हानि)	2757.21	(5088.65)	(2807.50)	(2011.01)	(3534.84)	(4247.22)	(5411.47)	(5534.76)	(4776.04)	(1567.90)
	(ब) (1) प्रावधान	0.00	0.00	338.89	687.91	306.93	383.02	1725.67	0.00	0.00	0.00
	(2) शुद्ध पूर्वाधि समायोजन	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1052.30	775.78	0.00	0.00
	(3) असाधारण मद	0.00	64.71	5242.68	0.00	0.00	0.00	0.00	(310.07)	0.00	0.00
	(स) कर के पूर्व लाभ/(हानि)	2694.49	(5153.36)	(8389.07)	(2698.92)	(3841.77)	(4630.24)	(8189.44)	(6000.47)	(4776.04)	(1567.90)
7.	कर के लिये प्रावधान	4037.46	215.62	0.00	0.00	(493.43)	(238.73)	207.96	1590.06	727.73	(1043.60)
8.	कर के पश्चात लाभ (हानि)	(1342.97)	(5368.98)	(8389.07)	(2698.92)	(3348.34)	(4391.51)	(8397.40)	(7590.53)	(5503.77)	(524.26)
9.	सकल खण्ड	16.24	10564.25	10564.25	10542.62	10522.31	10507.09	10468.86	10444.77	10435.75	8777.50
10.	शुद्ध खण्ड	6.29	2127.47	2563.95	2974.06	3399.27	3825.93	4237.14	4682.91	5145.31	4281.90
11.	कार्य संचालन पूंजी	(10405.07)	(10954.12)	(22813.44)	(21810.58)	(16963.61)	(10580.98)	(4478.55)	(3742.10)	1828.49	5781.90
12.	लागाई गयी पूंजी	(10398.78)	(8826.65)	(20249.49)	(18836.52)	(13564.34)	(6735.05)	(241.41)	940.81	6973.80	10063.80
13.	सम्मिलित मूल्य	0.00	614.48	2623.20	4335.42	3347.90	4802.37	3600.68	3149.45	3754.63	6543.60
14.	शुद्ध मूल्य	(10398.78)	(9257.89)	(20495.29)	(21361.22)	(18662.30)	(14820.53)	(10190.29)	(2000.85)	3999.62	8923.45
15.	बेतन भत्ता एवं अन्य सुविधायें	0.00	344.76	2031.76	2476.36	3102.29	4886.92	5958.57	6517.23	6308.84	6702.50
16.	राजकोष योगदान	3192.37	122.96	251.19	651.29	624.42	649.76	380.82	686.66	947.15	1441.00
17.	आन्तरिक स्रोतों की उत्पत्ति	(1211.51)	(4640.26)	(2353.67)	(1546.73)	(2576.32)	(3036.61)	(5433.53)	(6861.44)	(4071.09)	(1082.60)
18.	निर्यात (माने गये डीव्हा निर्यात सहित)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.33	175.30	976.42	1202.51	710.40
19.	कर्मचारियों की संख्या	0	0	140	170	218	296	391	523	638	780
20.	प्रति कर्मचारी जोड़ा गया कुल सम्मिलित मूल्य	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹
21.	मजदूरी के प्रत्येक रूपों में जोड़ा गया सम्मिलित मूल्य	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹
22.	वास्तविक मूल्य में शुद्ध लाभ/(हानि)	0.13	1.78	1.29	1.75	1.08	0.98	0.60	0.48	0.60	1.00
23.	सकल खण्ड से सकल सीमा	175.45	0.58	0.41	0.13	0.18	0.30	0.82	3.79	(1.38)	(0.10)
24.	कर्मचारी व्यय से पी.बी.डी.आई.टी.	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹
25.	सकल विक्री से सम्मिलित मूल्य	(0.27)	0.28	(0.10)	0.11	(0.04)	(0.11)	(0.40)	(0.45)	(0.33)	(0.10)
26.	लागाई गई पूंजी के प्रति सकल लाभ	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹
27.	विविध देनदार कुल विक्रय दिवस के रूप में	0.00	89.00	418.13	387.44	408.50	345.20	363.51	361.14	269.58	254.90
28.	उत्पादन दिवस के रूप में सामग्री की उपलब्धता	0.00	952.91	238.99	182.53	216.25	210.70	231.81	249.38	270.45	201.30

* कम्पनी के बन्द होने के संस्कार के निर्णय के कारण उनको दर्शित नहीं किया गया है।



Bharat Pumps & Compressors Ltd.



Bharat Pumps & Compressors Ltd.

(A Government of India Enterprise)

Naini, Allahabad - 211010 (U.P.) India

CIN - U28991UP1970GOI003577

E-mail : cmd@bharatpumps.co.in